

अध्याय -II

निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

2.1 इंदिरा आवास योजना

मुख्याकर्षण

इंदिरा आवास योजना (इ.आ.यो.), जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के आवास विहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत अंशधारिता वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा में वार्षिक योजना नहीं बनाया जाना, मासिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाना, निधियों का कम विमुक्त किया जाना, निधि का विवलन किया जाना, दयनीय अनुश्रवण आदि कर्मियाँ पार्स गईं। इनमें से कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

आवास विहीन परिवारों की स्थायी इ.आ.यो. प्रतिक्षा सूची कभी नहीं बनायी गई जैसा कि योजना की मार्गदर्शिका में निर्धारित था, जिसके कारण पक्का आवास वाले अयोग्य लाभान्वितों को ₹ 10.36 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी। प्रतीक्षासूची में वरीयता को नजर अंदाज करते हुए लाभार्थियों को इ.आ.यो. आवास स्वीकृत किए गए।

(कंडिका 2.1.6.2 और 2.1.8.2)

प्रखंड-वार/पंचायत-वार लक्ष्यों के निर्धारण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा लक्षित जनसमुदाय को योजना लाभ की प्रदत्तता सुनिश्चित करने वाले योजना मापदण्डों की अवहेलना की गई।

(कंडिका 2.1.6.3)

वर्ष 2006-11 के दौरान योजना मार्गदर्शिका में निर्धारित मानकों से अधिक निधियों के आगे बढ़ाए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ का केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.7.1)

योजना मार्गदर्शिका की अवहेलना करते हुए इ.आ.यो. की ₹ 325.35 करोड़ की राशि को अलग बैंक खाता में नहीं जमा कर प्रखंड कार्यालयों के सामान्य बैंक खाता में जमा किया गया।

(कंडिका 2.1.7.2)

भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 54.34 करोड़ की राशि का उपयोग करने में विभाग विफल रहा।

(कंडिका 2.1.8.4)

जिला पंचायत/जिलापरिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) द्वारा नक्सल पैकेज के तहत इ.आ.यो. आवासों के निर्माण में संबंधित वार्षिक लक्ष्यों की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(कंडिका 2.1.8.6)

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं आवधिक समीक्षा अप्रभावी एवं अपर्याप्त थी।

(कंडिका 2.1.11)

2.1.1 प्रस्तावना

आवास मानव जाति की एक मूलभूत आवश्यकता है। समाज में आवास की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन बसाने करने वाले आवासविहीन ग्रामीण व्यक्तियों को 'पक्का' आवास उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना की शुरूआत की।

इस योजना के अधीन मुक्त बंधुआ मजदूरों, अनूसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, अल्पसंख्यकों तथा गैर-अनूसूचित जातियों/जनजातियों के बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/आवासीय इकाइयों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था। शारीरिक एवं मानसिक विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को, भूतपूर्व सैनिक एवं अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत् सदस्यों के परिवारों को, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों को और घुमन्तु/ अर्धघुमन्तु तथा गैर-अधिसूचित आदिवासी परिवारों को उपरोक्त क्रम में, आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष एवं युद्ध में मारे गए सैनिक/अर्धसैनिक बलों के परिवारों एवं विधवाओं को भी इस योजना का लाभ विस्तारित किया जाना था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य का ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष विभाग है। विभाग प्रधान सचिव द्वारा शीर्षित होता है जो विभागीय मुख्यालय स्तर पर एक विशेष सचिव, दो संयुक्त सचिव, एक संयुक्त विकास आयुक्त, एक उप सचिव एवं एक उपनिदेशक द्वारा सहायतित होता है। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारियों, उप-विकास आयुक्तों और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ) के निदेशकों के माध्यम से किया जाता है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारीगण (प्र.वि.पदा.) पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सहायता से कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह आकलन करना था कि क्या:

- लाभुकों के चयन एवं पहचान हेतु योजना की पद्धति दक्ष थी;
- वित्तीय प्रबंधन दक्ष एवं प्रभावकारी था;
- योजना का क्रियान्वयन दक्ष, प्रभावकारी एवं मितव्ययी था; तथा
- अनुश्रवण क्रियाविधि एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत एवं प्रभावकारी थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानक

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रयुक्त किए गए मानक निम्नवत् थे:

- भारत सरकार के द्वारा इं.आ.यो. के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका;
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य;
- बिहार वित्तीय नियमावली, (बि.वि.नि.) 1950;
- बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.); एवं
- राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए तत्संबंधी परिपत्र एवं विभागीय आदेश

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि वर्ष 2006–11 थी एवं यह जून और अक्टूबर 2011 के मध्य संपादित की गई। लेखापरीक्षा के दौरान विभागीय मुख्यालय, 38 जि.ग्रा.वि.अ. में से आठ¹ जि.ग्रा.वि.अ. के और इन आठ चयनित जि.ग्रा.वि.अ. के 162 में से 31² प्रखंडों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। नमूना जाँच हेतु ईकाइयों का चयन निम्न तरीके से किया गया:

पाँच जि.ग्रा.वि.अ.³ का चयन सांख्यिकी न्यादर्श विधि की 'प्रोबेबिलीटी प्रोपोशनेट टू साईज विथ रिप्लेसमेंट विधि' को अपनाकर की गयी थी। बिहार के केन्द्रीय जिला होने के कारण पटना जि.ग्रा.वि.अ. का चयन किया गया। तत्पश्चात् इन छः जि.ग्रा.वि.अ. के अधीन 23 प्रखंडों का चयन 'सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विदाऊट रिप्लेसमेंट विधि' के आधार पर किया गया। शेष दो जि.ग्रा.वि.अ.⁴ और इनके अधीन, आठ प्रखंडों का चयन जोखिम अवधारणा को ध्यान में रखकर किया गया।

इस लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, कार्य क्षेत्र विस्तार, आच्छादन, केन्द्रबिन्दु की व्याख्या करने एवं विभागीय दृष्टिकोण और समस्याओं को समझने हेतु विभाग के प्रधान सचिव के साथ जून 2011 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विषयवस्तु की समझ/सूचनाओं के अद्यतन एवं समेकन, विस्तृत लेखापरीक्षा मार्गदर्शिका, जाँच सूची एवं प्रश्नावलियों को तैयार किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा द्वारा सुसंगत सूचना/ऑकड़े के संकलन और विश्लेषण की जाँच हेतु क्षेत्रों का दौरा किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में शामिल संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के जवाबों, अभिलेखों की प्रतिलिपियों और उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। तत्पश्चात् क्षेत्रीय दौरा के पूर्ण होने पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ 25 नवम्बर 2011 को बहिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षों की विस्तृत चर्चा की गयी। निष्पादन समीक्षा के प्रारूपण के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं औचित्यों को ध्यान में रखा गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के विरुद्ध लेखापरीक्षा परिणाम अधोवर्णित हैं:

2.1.6 योजना

इं.आ.यो. के क्रियान्वयन की योजना में वार्षिक योजना को तैयार करना, समय सीमा के साथ इं.आ.यो. आवासों की पूर्णता हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाना शामिल था। इसमें बी.पी.एल. सूची में वरीयता के आधार पर आवासविहीनों की स्थायी इं.आ.यो.

¹ बाँका, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मधुबनी, रोहतास, पटना और समस्तीपुर।

² बाँका में बौसी, कटौरिया, फुल्लीडुमर और रजौन; पूर्वी चम्पारण में अरेराज, चकिया, हरसिंहिं और कल्पाणपुर; दरभंगा में बहादुरपुर, दरभंगा सदर, मनिगाढ़ी और तारडीह; गया में बेलागंज, गया सदर, गुरारु एवं खिजरसराय; मधुबनी में बाबूबरही, जयनगर, लदानिया और पंडौल; रोहतास में डेहरी, करहगर, नासरीगंज और राजपुर; पटना में बिहटा, धनरुआ, दुल्हनबाजार एवं खुशरुपुर तथा समस्तीपुर में मोहनपुर, पूसा और शाहपुर पटौरी।

³ बाँका, पूर्वी चम्पारण, गया, रोहतास और समस्तीपुर।
⁴ दरभंगा और मधुबनी।

प्रतीक्षा सूची का तैयार किया जाना भी शामिल था। नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गईः

2.1.6.1 वार्षिक योजना का तैयार नहीं किया जाना

इं.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 4.2 बी (VIII) के अनुसार एक वार्षिक योजना जिलापरिषद या जि.ग्रा.वि.अ. के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। इस आवश्यकता को सरकार के निर्देश (मई 2009) में भी दोहराया गया था, जिसके अनुसार भी सभी जिलों एवं प्रखंडों द्वारा वार्षिक योजना तैयार किया जाना आवश्यक था। इन योजनाओं में इं.आ.यो. आवासों के निर्माण हेतु प्रखंडवार/पंचायतवार वार्षिक लक्ष्यों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को अच्छादन किये जाने के लक्ष्य को शामिल किया जाना था। इन वार्षिक लक्ष्यों (भौतिक एवं वित्तीय) को मासिक लक्ष्यों में विभाजित करना था जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, वार्षिक योजना में अपूर्ण आवासों के पूरा करने की समय-सीमा, पर्यवेक्षण की अनुसूची, पूर्व के वर्षों में आवंटित आवासों के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन आदि की योजना बनाकर उन्हें शामिल करना था।

किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में वार्षिक योजना नहीं बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गयी थी। इसके बदले प्रत्येक पंचायत हेतु मात्र भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए जबकि पूर्व के वर्षों के अधूरे आवासों को पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। यहाँ तक कि आवासों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए या भौतिक सत्यापन की कोई समय-सारणी भी निर्धारित नहीं गयी थी। परिणामतः इं.आ.यो. का क्रियान्वयन तदर्थ रूप से किया गया जिसके फलस्वरूप निर्धारित अवधि में इं.आ.यो. आवासों की स्वीकृति, निर्माण एवं पूर्णता में विलंब हुआ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक योजना निर्धारित था एवं उप-विकास आयुक्तों को इनमें से विचलन करने की स्वीकृति नहीं थी। यह भी बताया गया कि आवासों के निर्माण की समय सीमा एवं निरीक्षण की समय-सारणी पहले से ही निर्धारित थी।

जबाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुरूप किसी भी नमूना-जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी।

2.1.6.2 इन्दिरा आवास योजना की त्रुटिपूर्ण प्रतीक्षा-सूची

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के उपबंध 2.1 के अनुसार ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल. सूची में वरीयता क्रम के आधार पर स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा-सूची यह सूनिश्चित करते हुए तैयार की जानी थी कि चयनित लाभुक आवासविहीन थे। तत्पश्चात इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की अलग सूची तैयार की जानी थी जिससे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को पर्याप्त आवासों का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। आवासविहीन परिवारों की स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची संबंधित ग्राम सभा (ग्रा.स.) द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

तदनुसार राज्य सरकार ने उ.वि.आ. और प्र.वि.पदा. को प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवासविहीन परिवारों के लिए अलग-अलग इं.आ.यो. प्रतीक्षा-सूची बनाने हेतु

निर्देशित किया (मई और जून 2008) जिसे पाँच वर्षों तक प्रभावी रहना था। संबंधित प्र.वि.पदा.को यह भी सुनिश्चित करना था कि इस सूची में शामिल बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व में लाभ नहीं मिला था और उनके पास पक्का आवास नहीं था।

आवासविहीन बी.पी.एल. परिवारों के लिए स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई गई थी।

इस योजनान्तर्गत पक्का आवास वाले अयोग्य लाभुकों को ₹ 10.36 लाख का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी स्तर यथा प्रखंड, जिला या राज्य स्तर पर आवास विहीन परिवारों से संबंधित जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं थी। आवास विहीन परिवारों की स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची न कभी तैयार की गयी और न अनुमोदित ही की गयी जैसा योजना की मार्गदर्शिकानुसार आवश्यक था। इसके बदले, बिना यह सत्यापित किए कि किसी परिवार के पास आवास है अथवा नहीं, बी.पी.एल सूची को ही स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के रूप में प्रयोग में लाया गया। इन प्रतीक्षा सूचियों को नमूना जाँचित जिलों में किसी भी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप इन सूचियों की विश्वसनीयता तथा इं.आ.यो. के प्राथमिकता समूहों का अनुपालन तथा लाभुकों की सत्यता संदिग्ध थी।

यह इस तथ्य से भी संपुष्ट होता था कि नमूना—जाँचित 12⁵ प्रखंडों के 14 पंचायतों में इं.आ.यो. की प्रतीक्षा—सूची में पक्का आवास वाले 804 परिवारों का नाम शामिल था। इनमें से 41 लाभुकों को ₹ 10.36 लाख का भुगतान वर्ष 2006–2011 में किया गया था।

उपरोक्त दृष्टांत यह दर्शाता था कि संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में शामिल व्यक्तियों के नामों और विवरणियों को सत्यापित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार इन व्यक्तियों को किया गया ₹ 10.36 लाख का भुगतान अनियमित था।

जबाब में सरकार ने बताया (नवम्बर 2011) कि इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची, बी.पी.एल. सूची के आधार पर तैयार की गई थी जो ग्राम सभा से अनुमोदित थी। साथ ही, बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था और आवास की स्थिति लाभुकों की आर्थिक अवस्था में परिवर्तन से लेकर प्राकृतिक आपदा, मृत्यु, पलायन आदि तक विभिन्न कारणों से परिवर्तनीय थी।

जबाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इं.आ.यो. के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सिर्फ आवासविहीन परिवारों को ही विचारार्थ रखना था।

2.1.6.3 प्रखंडों/पंचायतों के लिए लक्ष्यों का अनुचित निर्धारण

इं.आ.यो. मार्गदर्शिका (अपबंध 4.1) के अनुसार प्रखंडों और ग्राम पंचायतों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण संबंधित प्रखंडों/पंचायतों के आवासीय कमी वाले क्षेत्रों को 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्रधानता देकर तय की गई थी। तदनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जि.ग्रा.वि.अ. से प्रखण्डों में निधि हरतांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया। चूंकि किसी भी स्तर पर आवासीय कमी से संबंधित आँकड़ा उपलब्ध नहीं था, संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. ने योजना मापदंडों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ

⁵ बाबू वरही, बौंसी, बिहटा, डेहरी, धनरुआ, गया सदर, कल्याणपुर, करहगर, कटौरिया, खिजरसराय, नासरीगंज, रजौन

ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्रखंडों/पंचायतों को निधियों का आवंटन किया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अबादी को योजना के लाभ की प्राप्ति भी संदिग्ध थी।

सरकार ने बताया (नवंबर 2011) कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण आवासीय कमी तथा गरीबी अनुपात के आधार पर किया गया। जिलों द्वारा इस लक्ष्यों का आवंटन अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आबादी के आधार पर किया गया था क्योंकि आवास संबंधित ऑकड़ 2001 के जनगणना पर आधारित थे और जिला अधिकारियों के पास बिना अद्यतन किए गए ऑकड़ों का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना मापदंडों के अनुसार किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उचित प्राथमिकता नहीं दी गई थी (इं.आ.यो. मार्गदर्शिका के उपबंध 4.1)।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

इं.आ.यो. एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो राज्य के साथ 75:25 के अनुपातिक लागत आधार पर वित्त पोषित था। निधि सीधे जि.ग्रा.वि.अ. को दो किश्तों में विमुक्त की जाती थी। किसी जिला विशेष के लिए वित्तीय वर्ष के आरम्भ में कुल आवंटित राशि का 50 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त विमुक्त की गयी थी। जबकि द्वितीय किश्त की विमुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों में यह भी निर्धारित था कि जिला के पास प्रारंभिक शेष राशि पिछले वर्ष में कुल उपलब्ध निधियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। योजना की निधियाँ तीन अवयवों से निर्मित थीं यथा केन्द्रांश, राज्यांश और अन्य प्राप्तियाँ (जैसे ब्याज की प्राप्ति एवं अव्यवहृत शेष) इन निधियों को संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा इं.आ.यो. के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते में रखा जाना था।

वर्ष 2006–11 के दौरान कुल उपलब्ध ₹ 12339.86⁶ करोड़ की निधियों में से विभाग द्वारा ₹ 11609.04 करोड़ (94 प्रतिशत) व्यय किया गया। वर्ष 2006–11 के दौरान ₹ 9361.92 करोड़ के कुल अंश के विरुद्ध, विभाग ने भारत सरकार से ₹ 8567.78 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त किया। मार्गदर्शिका के निर्धारित मानकों से अधिक निधियों को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ का शेष केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया। नमूना जाँचित 18 प्रखंडों द्वारा इं.आ.यो. निधि की ₹ 325.35 करोड़ की राशि को अन्य योजनाओं की निधियों के साथ बैंक खाताओं में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की राशि का आकलन नहीं किया गया। इन्दिरा आवास योजना की ₹ 10.66 करोड़ एवं ₹ 13.35 करोड़ की निधियाँ को इन वर्षों के दौरान क्रमशः सेमिनार आयोजित करने एवं बी.पी.एल. सूची के पुनरीक्षण में विचलित किया गया।

राज्य स्तर पर एवं चयनित जि.ग्रा.वि.अ. में क्रमशः निधि के आवंटन, विमुक्ति एवं व्यय का विवरण तालिका सं. 1 में नीचे दिया गया है:

⁶ प्रारंभिक शेष: ₹ 741.14 करोड़, कुल विमुक्ति: ₹ 11507.81 करोड़ और अन्य प्राप्तियाँ, ₹ 84.91 करोड़।

तालिका सं. 1
राज्य स्तर पर इ.आ.यो. निधियों का आवंटन, विमुक्ति एवं व्यय

| वर्ष | आंशिक शेष | निधि का आवंटन | | | निधि की विमुक्ति | | | अन्य प्राप्तियाँ | कुल उपलब्ध निधि (कु.उ.नि.) | व्यय | कुल अव्यतिरीकृत शेष (कु.उ.नि. का प्रतिशत कोष्टक में) |
|------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | केंद्रांश | राज्यांश | कुल | केंद्रांश | राज्यांश | कुल | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (2+8+9) | 11 | 12 (10-11) |
| 2006-07 | 741.14 | 789.73 | 263.24 | 1052.97 | 774.81 | 248.11+156.16* | 1179.082006- | 10.26 | 1930.48 | 1249.99 | 680.49 (35) |
| 2007-08 | 680.49 | 1063.44 | 354.48 | 1417.92 | 1055.76 | 347.70 | 1403.46 | 0.00 | 2083.95 | 1524.40 | 559.55 (27) |
| 2008-09 | 559.55 | 2065.20 | 688.40 | 2753.60 | 1767.00+0701.07** | 632.83 | 3100.90 | 29.68 | 3690.13 | 2223.43 | 1466.70 (40) |
| 2009-10 | 1466.70 | 2882.25 | 960.75 | 3843.00 | 2008.55 | 775.88 | 2784.43 | 30.64 | 4281.77 | 3257.67 | 1024.10 (24) |
| 2010-11 | 1024.10 | 2561.30 | 853.77 | 3415.07 | 2260.59 | 779.35 | 3039.94 | 14.33 | 4078.37 | 3353.55 | 724.82 (18) |
| कुल | | 9361.92 | 3120.64 | 12482.56 | 8567.78 | 2940.03 | 11507.81 | 84.91 | | 11609.04 | |

(स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑँकड़े)

* पूर्ववर्ती वर्षों के समरूप अंश के विरुद्ध ₹ 156.11 करोड़ की राशि विमुक्ति की गयी।

** वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी ₹ 701.07 करोड़ की अतिरिक्त विमुक्तियाँ (सामान्य आवंटन के अतिरिक्त)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में वित्तीय प्रबंधन के मामले में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

2.1.7.1 दावों की अस्वीकृति

इन्दिरा आवास योजना मार्गदर्शिका के उपबंध 4.2 के अनुसार, केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में विमुक्ति की जाती थी। जबकि खास जिला के एक संपूर्ण आवंटन के 50 प्रतिशत के बराबर की प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विमुक्ति की जानी थी, द्वितीय किस्त को पिछले किस्त के अप्रयुक्त शेष राशि के समायोजन के उपरांत (अगर 10 प्रतिशत से अधिक हो) विमुक्ति किया जाना था। उस स्थिति में यदि अवशेष राशि का इस सीमा से अधिक होती है तो 10 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा आनुपातिक रूप से केन्द्रीय हिस्सा का द्वितीय किश्त विमुक्ति करने के समय काट लिया जाना था।

तालिका सं. 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-11 के दौरान, कुल उपलब्ध निधियों की वृहत अव्यतित अवशेष राशि पड़ी थी जो 18 से 40 प्रतिशत तक विस्तारित थी। इस प्रकार निर्धारित सीमा से अधिक निधियों को अगले वर्षों में ले जाने से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-11 के दौरान ₹ 794.14 करोड़ की अवशेष राशि विमुक्त नहीं की गई।

सरकार द्वारा कहा गया (नवम्बर 2011) कि निधियों के अव्यतित रहने के कारणों में से एक उन राशियों का विलम्ब से विमुक्ति (वर्ष के अन्त में) किया जाना था।

निधियों के अधिक अग्रसारण के कारण मारत सरकार द्वारा ₹ 794.14 करोड़ कम विमुक्ति की गई।

2.1.7.2 बैंक खाताओं का अनियमित संधारण

सरकारी परिपत्र (मई 2008) यह प्रावधानित करता था कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा निधियों को मात्र वैसे बैंक खाताओं में रखना था जो कि अनन्य रूप से इंदिरा आवास योजना के लिए खोला गया हो। आगे, इस जमा राशियों से प्राप्त सूद को इंदिरा आवास योजना के संसाधनों का भाग माना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने बैंक खाताओं के अनियमित संचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य उजागर किया:

- अलग बैंक खाताओं का असंधारण

लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा यह प्रकट हुआ कि 18 प्रखंडों⁷ में ₹ 325.35 करोड़ की इन्दिरा आवास की निधियाँ अन्य योजनाओं की निधियों के साथ बैंक खातों में रखी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप सूद की राशि की गणना इन्दिरा आवास योजना संसाधनों के रूप में नहीं की जा सकी।

प्रधान सचिव, ग्रा.वि.वि. ने कहा (नवम्बर 2011) कि हाँलांकि इन्दिरा आवास मार्गदर्शिका के अनुसार यह विशेष रूप से उल्लेखित नहीं था कि प्रखंडों द्वारा निधियाँ को अलग खाते में रखा जाना चाहिए, लेकिन लेखापरीक्षा की अनुशंसा ध्यातव्य थी।

जबाब मान्य नहीं था क्योंकि सरकार द्वारा मई 2008 में जारी परिपत्र में इन्दिरा आवास योजना के निधियों को संबंधित प्र.वि.पदा द्वारा अलग बैंक खाता में रखे जाने की चर्चा की गयी थी।

- अन्त शेष में अंतर

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिगाढ़ी (दरभंगा) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2011 को रोकड़ वही (अपग्रेडेशन⁸) का अंतःशेष तीन लाख रूपये था जबकि उस तिथि में बैंक खाता में अंत शेष मात्र ₹ 86 हजार ही था एवं परिणामतः बैंक खाता में ₹ 2.14 लाख की कमी थी। चूँकि रोकड़ बहियों के अंतःशेषों के विवरणों को समाशोधित नहीं किया गया था, इन अंतरों की लेखापरीक्षा के दौरान जाँच नहीं की जा सकी।

सरकार ने आश्वस्त किया (नवम्बर 2011) कि अंतर को समाशोधित कर लिया जाएगा।

2.1.7.3 निधियों का विचलन

भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के निधियों का उपयोग नए आवासों का निर्माण में अथवा कच्चे आवास को पक्का आवास के उन्नयन करने हेतु था।

विभागीय मुख्यालय में नमूना जाँच के दौरान यह प्रकटित हुआ कि इ.आ.यो. हेतु वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में यद्यपि क्रमशः ₹ 347.70 करोड़ एवं ₹ 632.83 करोड़ राशियाँ विमुक्त की गयी थीं, तथापि क्रमशः ₹ 10.66 करोड़ एवं ₹ 13.35 करोड़ की योजना निधियों को इन वर्षों के दौरान सेमिनार आयोजित करने एवं बी.पी.एल. सूची के पुनरीक्षण हेतु विचलित किया गया।

⁷ अरराज ₹ 774.21 लाख, बहादुरपुर ₹ 2909.73 लाख, बौसी ₹ 1001.75 लाख, चकिया ₹ 1251.77 लाख, दरभंगा सदर ₹ 3597.43 लाख, डेहरी ₹ 675.75 लाख, गया सदर ₹ 1960.35 लाख, गुरारू ₹ 1382.55 लाख, हरसिंहि ₹ 2248.21 लाख, जयनगर ₹ 2461.13 लाख, कल्याणपुर ₹ 2748.62 लाख, करहगर ₹ 1179.44 लाख, खिजरसराय ₹ 2291.86 लाख, मोहनपुर ₹ 726.57 लाख, नासरीगंज ₹ 774.66 लाख, पड़ौल ₹ 4706.63 लाख, फुलीडुमर ₹ 618.60 लाख और तारडीह ₹ 1225.67 लाख।

⁸ अद्यतन – कच्चे मकानों को पक्का मकानों में उन्नयन करने हेतु निधियों की रोकड़ पंजी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि निधियों का विचलन नहीं किया गया बल्कि वित्त विभाग की सहमति से व्यय हुआ क्योंकि बी.पी.एल. सूचीकरण इन्दिरा आवास योजना में चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग था।

जबाब अपने आप में ही स्वीकारोक्ति थी कि ई.आ.यो. आवासों के निर्माणार्थ कर्णाकित राशि का उपयोग योजना मार्गदर्शिका के विपरीत अन्य उद्देश्यों हेतु किया गया था।

2.1.7.4 व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना

ई.आ.यो. के मार्गदर्शिका के उपबंध 4.4.1 के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य आकर्षिक रिथतियों जैसे कि आगजनी, दंगा, आदि में पीड़ितों को समय पर राहत देने हेतु उनके क्षतिग्रस्त आवासों के तुरंत निर्माण के लिए जिला पदाधिकारी स्वयं की उपलब्ध निधि अथवा जिला ई.आ.यो. निधि से खर्च करने के लिए प्राधिकृत किये गये थे। जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी। इस हेतु जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्रों के साथ इस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि आठ नमूना जाँचित जिलों में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को सासमय राहत देने हेतु ₹ 8.08⁹ करोड़ खर्च किए गए थे। इस व्यय में से लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण ₹ 5.38 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति लंबित थी। हाँलांकि, ₹ 2.07 करोड़ की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिसमें से अगस्त 2011 तक केवल ₹ 49 हजार की ही प्रतिपूर्ति की गयी थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि संबंधित जिले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया को गति देने हेतु कार्रवाई करेंगे।

2.1.8 योजना का क्रियान्वयन

ई.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 1.6 सहपठित सरकारी निर्देश (अक्टूबर 2006) के अनुसार, ई.आ.यो. का क्रियान्वयन संबंधित जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा किया जाना था तथा इस योजना के तहत आवासों का निर्माण लाभुकों के द्वारा किया जाना था। प्रत्येक निवास इकाई के निर्माण हेतु संबंधित प्र.वि.पदा. द्वारा लाभुकों को सहायता प्रदान किया जाना था।

भारत सरकार ने ई.आ.यो. के तहत वर्ष 2006–11 में 3651856 आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था इनमें से, 3340885 (91 प्रतिशत) आवासों को स्वीकृत किया गया था एवं इस अवधि के दौरान 2533176 (76 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। लाभुकों को ई.आ.यो. आवासों को देर से स्वीकृत किए जाने के कारण स्वीकृति एवं उनकी उपलब्धि में कमी पायी गयी। आगे, यह भी पाया गया कि प्रतीक्षा सूची के क्रम को नजरअंदाज करते हुए लाभुकों को सहायता प्रदान की गयी थी। संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार प्रखंडों द्वारा पंचायतवार लाभुकों का चयन नहीं किया गया। ग्रामीण भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को आवासों के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी। विभाग ने भौतिक प्रगति की जाँच किए बगैर, जैसा ई.आ.यो.

⁹ बॉक़ा: ₹ 106.35 लाख; दरभंगा: ₹ 55.27 लाख; पूर्वी चम्पारण: ₹ 152.34 लाख; गया: ₹ 72.10 लाख; मध्यबनी: ₹ 97.30 लाख; पटना: ₹ 17.85 लाख; रोहतास: ₹ 22.60 लाख और समस्तीपुर: ₹ 284.25 लाख।

मार्गदर्शिका के अनुसार अपेक्षित था, एकमुश्त भुगतानों को विमुक्त किया। नक्सल पैकेज के अन्तर्गत 10620 आवास देर से स्वीकृत किए जाने के कारण राजकोष पर ₹ 14.34 करोड़ का अधिक भार पड़ा। एक ही बी.पी.एल. नम्बर पर एक से अधिक लाभुकों को ई.आ.यो. आवास स्वीकृत किए गए एवं बेलागंज प्रखण्ड (गया) में द्वितीय किश्त रूप में नो लाभुकों को ₹ 11000 प्रति के हिसाब से दो अवसरों पर भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99 हजार का दोबारा भुगतान हो गया। हाँलाकि निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुयीं।

2.1.8.1 लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

ई.आ.यो. के मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में ई.आ.यो. आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तदनुसार, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पंचायतवार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु आवासों की संख्या निर्धारित किया जाना था। वर्ष 2006–11 के दौरान आवासों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य, सहायता प्रदत्तता एवं पूर्ण आवासों की स्थिति नीचे तालिका 3 में दी गई है।

तालिका – 3

राज्य एवं नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. में ई.आ.यो. के आवासों की भौतिक स्थिति

| वर्ष | लक्ष्य | चयनित लाभुकों की सं. | | पूर्ण आवासों की संख्या (पूर्व वर्षों के अपूर्ण आवासों को शामिल करते हुए) | | पूर्ण | | अपूर्ण | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------------|--------|
| | | राज्य | नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. | राज्य | नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. | राज्य | नमूना जाँचित | राज्य | नमूना जाँचित | |
| 1 अप्रैल 2006 को अपूर्ण आवास | | | | | | | | 311818 | 123112 | |
| 2006-07 | 408350 | 137610 | 181428 | 88675 | 493246 | 211787 | 349704 | 71616 | 143542 | 140171 |
| 2007-08 | 580011 | 149765 | 614390 | 118465 | 757932 | 258636 | 436189 | 85463 | 321743 | 173173 |
| 2008-09 | 806590 | 226279 | 640581 | 157101 | 962324 | 330274 | 490486 | 118089 | 471838 | 212185 |
| 2009-10 | 1098001 | 365871 | 923589 | 243686 | 1395427 | 455871 | 678447 | 177963 | 716980 | 277908 |
| 2010-11 | 758904 | 235689 | 980897 | 275873 | 1697877 | 553781 | 578350 | 153550 | 1119527 | 400231 |
| कुल | 3651856 | 1115214 | | 3340885 (91) | 883800 (79) | | | 2533176 (76) | 606681 (69) | |

(स्रोत: विभाग एवं नमूना जाँचित डी.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर)

* कोट में दिए गए आँकड़े मूल्यांकन का प्रतिशत दर्शते हैं।

राज्य में वर्ष 2006-11 में 91 प्रतिशत स्वीकृत लक्षित आवासों के विरुद्ध 76 प्रतिशत आवास ही पूर्ण किए गए।

वर्ष 2006-11 के दौरान, जबकि राज्य एवं नमूना जाँचित जिलों में क्रमशः 91 प्रतिशत एवं 79 प्रतिशत लक्षित आवासों की स्वीकृति, लाभुकों द्वारा निर्माण हेतु दी गयी थी, उनमें से 31 मार्च 2011 तक क्रमशः राज्य एवं नमूना जाँचित जिलों द्वारा स्वीकृत आवासों का केवल 76 प्रतिशत एवं 69 प्रतिशत को पूर्ण दिखाया गया था। इस प्रकार, लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति एवं स्वीकृति के विरुद्ध आवासों के निर्माण में कम उपलब्ध मुख्यतः देर से ई.आ.यो. आवासों की स्वीकृति मिलने एवं मानव शक्ति की कमी के कारण थी।

चयनित प्रखंडों के अभिलेखों के नमूना जाँच से यह प्रकटित हुआ कि इस तरह का कोई अभिलेखित साक्ष्य नहीं था जो कि पूर्ण आवासों के आकड़ों को समपुष्ट करता। प्रखण्ड कर्मियों द्वारा कहा गया कि जब लाभुकों को द्वितीय/अंतिम किस्त विमुक्त किया जाता था तब आवासों के निर्माण को पूर्ण समझ लिया जाता था। आगे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन को दर्शाने वाला कोई अभिलेखित साक्ष्य

अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिससे विमुक्त निधियों के विरुद्ध आवासों की वास्तविक पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु उपलब्ध कराए गए धन के दुरुपयोग/अपव्यय होने से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अपने संसाधन द्वारा ई.आ.यो. के आवासों की पूर्णता की स्थितियों की भौगोलिक स्थिति एवं समय के मोहर वाले फोटोग्राफ द्वारा जाँच हेतु भौतिक सत्यापन का किया जाना प्रक्रियाधीन था।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन्दिरा आवास मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक पूर्ण ई.आ.यो. के आवासों पर भारत सरकार का लोगो, निर्माण का वर्ष दर्शाने वाला प्रदर्श बोर्ड लगा होना चाहिए था। लेकिन, इसके विपरित लाभुकों को द्वितीय किश्त की विमुक्ति के साथ ही आवासों को पूर्ण मान लिया गया। प्रखंड में संधारित की जाने वाली योजना पंजी में ई.आ.यो. के आवासों की पूर्णता स्थिति को अवश्य दर्ज किया जाना था।

2.1.8.2 प्रतीक्षा-सूची में वरीयता की अनदेखी कर लाभुकों को सहायता दिया जाना

ई.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के वरीयतानुसार लाभुकों को सहायता दिया जाना था। आगे, भारत सरकार के पत्र (मई 2006) के अनुसार निर्धनतम आवासविहीन व्यक्ति को उच्च प्राथमिकता दिया जाना था एवं ई.आ.यो. की प्रतीक्षा-सूची में अंकित अंकों के बढ़ते हुए क्रमानुसार¹⁰ प्राथमिकता सूची का पालन करना, यथा सबसे कम अंक वाला व्यक्ति को सबसे अधिक योग्य लाभुक समझना, था।

प्रतीक्षा सूची की वरीयता की अनदेखी करते हुए लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए।

नमूना जाँचित प्रखंडों की संवीक्षा ने प्रकटित किया कि लाभुकों को तदर्थ आधार पर सहायता देकर मार्गदर्शिका की अवहेलना की गयी। वर्ष 2006–11 में सभी नमूना जाँचित प्रखंडों में कम अंक वाले लाभुकों को ध्यान में रखे बगैर उच्च अंक वाले लाभुकों को इकाई सहायता प्रदान की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा ई.आ.यो. के मार्गदर्शिका का पालन नहीं किये जाने से योजना क्रियान्वयन को छलयोजित किए जाने अथवा लाभुकों को अदेय सहायता दिये जाने से जोखिम के प्रति उजागर किया। इस प्रकार प्रखंड स्तर पर लाभुकों के चयन की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता कदाचार के प्रति अतिसंवेदनशील थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा के प्रयत्नों की सराहना की और कहा (नवम्बर 2011) कि विभाग का इन मुद्दों के प्रति शून्य विचलन सहनशीलता थी और आश्वस्त किया कि इस तरह की चूकों का तार्किक विश्लेषण करते हुए तथ्यों की जाँच की जाएगी।

2.1.8.3 ई.आ.यो. लाभुकों का अनियमित चयन

ई.आ.यो. की मार्गदर्शिका का उपबंध 2.1 में भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए आवंटित निधियों एवं निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रत्येक पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित किया जाना परिकल्पित था।

¹⁰ ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके 0 और 13 के बीच अंक हैं (अधिकतम 52 अंक में से जो कि 13 पारामीटरों पर आधारित था जैसे— जमीन का क्षेत्र, मकान का प्रकार, आश्रितों की संख्या, खाद्यान सुरक्षा, शौचालयों, उपभोक्तावादी वस्तुएँ, साक्षरता, रोजगार की स्थिति, जीवनयापन का माध्यम, बच्चों की शैक्षिक स्थिति, ऋण की स्थिति, प्रवजनन का कारण, और सहायता की जरूरत) को बिहार में बी.पी.एल. परिवार समझा गया।

मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायतवार लाभुकों का चयन सुनिश्चित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2006–11 में छः¹¹ नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. के नौ प्रखंडों¹² में संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रखंडों द्वारा पंचायतवार लाभुकों का चयन नहीं किया गया। यहाँ तक कि संवीक्षा अवधि में 37 पंचायतों में लाभुकों का चयन नहीं किया गया जबकि 13 पंचायतों में वार्षिक लक्ष्यों का 138 और 539 प्रतिशत के बीच अधिक लाभुकों का चयन किया गया था। इस प्रकार, मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायतवार लाभुकों का चयन सुनिश्चित नहीं किया गया। अतः उन पंचायतों में चयन अनुचित था एवं अपेक्षित लाभुकों को उसके देय लाभ से वंचित रखा गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि कुछ बाध्यता के कारण कुछ पंचायतों में योग्य लाभुकों का चयन नहीं किया जा सका होगा अथवा कुछ पंचायतों में अधिक लाभुकों को इं.आ.यो. की निधियाँ प्रदान की गयी होंगी, जिसका आवश्यक सत्यापन किया जाना है।

2.1.8.4 भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना

भारत सरकार ने (अगस्त 2009) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित कराने का प्रावधान किया था। यह योजना इं.आ.यो. के एक भाग के रूप में क्रियान्वित की जानी थी और भूमि की लागत को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में बाँटा जाना था। तदनुसार, मार्च 2010 में भारत सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु राज्य सरकार को ₹ 53.34 करोड़ उपलब्ध कराया। सरकार को योग्य बी.पी.एल. परिवारों को उपर्युक्त भूमि उपलब्ध कराना था।

भूमिहीन एवं बी.पी.एल. परिवारों हेतु इं.आ.यो. के आवासों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए ₹ 53.34 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा जाँच द्वारा यह प्रकटित हुआ कि यह योजना लागू नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग के पास राज्य में भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का कोई आधारभूत ऑकड़ा उपलब्ध नहीं था। सरकार ने न ही अपना समरूप अंशदान विमुक्त किया और न ही निधि के उपयोग के संबंध में कोई निर्देश ही जारी किया। इस प्रकार, नमूना जाँचित जिलों के किसी भी उ.वि.आ. ने लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2011) तक निधियों का उपयोग नहीं किया था। परिणामस्वरूप योग्य भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों को लाभ से वंचित किया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अंचल कार्यालय द्वारा भूमिहीन बी.पी.एल. परिवारों हेतु भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी थी।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि किसी भी नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भूमि के अधिग्रहण हेतु निधियों का उपयोग नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप योग्य परिवारों को अभीष्ट लाभ नहीं दिया जा सका।

2.1.8.5 भुगतान की एकमुश्त विमुक्ति

इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका के उपबंध 4.10 के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान समय–समय पर भौतिक कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाना था। लाभार्थियों को समस्त राशि का एकमुश्त भुगतान देय नहीं था।

¹¹ दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मधुबनी, पटना और रोहतास।

¹² बिहार, चकिया, दुलिहन बाजार, गया सदर, हरसिंहद्वारा, कल्याणपुर, खिजरसराय, लदानिया, और मनीगाढ़ी।

वर्ष 2006–10 के दौरान कार्य की भौतिक प्रगति/सत्यापन प्रतिवेदन से संबद्ध किये बगैर ही लाभुकों को भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि इन मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2006–10 के दौरान लाभुकों के भुगतान को कार्य की प्रगति से असंबद्ध करते हुए किया गया तथा भौतिक निरीक्षण एवं नियंत्रण के आवश्यकता की भी अनदेखी की गयी जो उसके अभीष्ट उद्देश्यों पर उपयोग किये जाने को सुनिश्चित करते। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि सरकार ने लाभुकों को ₹ 25000 की कुल प्रदत्तता राशि के विरुद्ध, ₹ 24000 के एकमुश्त भुगतानों को, भौतिक प्रगति से संबद्ध किए बगैर, जैसा कि मार्गदर्शिकाओं के तहत आवश्यक था, विमुक्त करने का निर्देश (अक्टूबर 2006) जारी किया। पुनः यह, सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी/पंचायत सेवक से भौतिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये बगैर लाभुकों को एकमुश्त अग्रिम के विमुक्ति के दो माह के अंदर, यह मानते हुए कि इन दो माह में लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका था, लाभुकों की शेष राशि को विमुक्त करने का निर्देश (मई 2008) जारी किया।

यद्यपि 2010–11 में सरकार ने मार्गदर्शिकाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता महसूस की और संबंधित प्र.वि.पदा. को निवेशित (जून 2011) किया कि लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य लिन्टल स्तर तक पूर्ण कर लेने के उपरांत ही द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद प्र.वि.पदा. द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बगैर ही निधियों की विमुक्ति जारी रही। निरीक्षण में इस प्रकार के छूट दिये जाने से लाभार्थियों द्वारा राशि का दुरुपयोग किया जाना संभावित था।

सरकार द्वारा कहा गया (नवम्बर 2011) कि पूर्व में प्रायोगिक तौर पर भौतिक सत्यापन की शर्तों में छूट गरीब आदमी को शोषण से बचाने के लिए दी गई थी। अब द्वितीय किश्त विमुक्त किये जाने के पूर्व भौतिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया था।

2.1.8.6 विलम्ब से स्वीकृति दिये जाने के कारण अतिरिक्त भार

इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उपबंध 2.1 के अनुसार, जिला पंचायत/जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) को किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन और निर्धारित लक्ष्य के मद्देनजर पंचायतवार आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु आवासों की संख्या को तय करना था।

इं.आ.यो. आवासों की विलम्ब से स्वीकृत के कारण ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त भार आरोपित हुआ।

जि.ग्रा.वि.अ., रोहतास में पाया गया कि नक्सल पैकेज¹³ के अंतर्गत 19698 आवासों के निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 35000 के दर पर (वर्ष 2009–10) मात्र 9078 आवास स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद शेष 10,620 आवास वर्ष 2010–11 में ₹ 48500 के बढ़े हुए दर पर स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार 10,620 आवासों के दर से स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष पर ₹ 14.34 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया।

¹³ नक्सल उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में इंदिरा आवास के निर्माण के लिए विशेष पैकेज छ: जिलों हेतु, यथा अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, जमुई और रोहतास के लिए, स्वीकृत किया गया था।

2.1.8.7 एक बी.पी.एल. संख्या के विरुद्ध एक से अधिक लाभार्थियों को निधियों की विमुक्ति

विभागीय आदेश (दिसम्बर 2008) के अनुसार प्र.वि. पदाधिकारियों को वर्तमान लाभार्थी को इंदिरा आवास स्वीकृत करने के पूर्व यह आश्वस्त होना था कि वर्तमान लाभार्थी या उसके परिवार के अन्य सदस्य ने इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया था।

एक बी.पी.एल. संख्या पर एक से अधिक लाभार्थियों को सहायता देने से 67 व्यक्तियों को ₹ 17.80 लाख का अनियमित लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2006–11 में नौ¹⁴ प्रखंडों में एक बी.पी.एल. संख्या के विरुद्ध दो से पाँच लाभार्थियों को सहायता राशि का प्रदान किया गया था। इस प्रकार, 50 बी.पी.एल. संख्याओं के विरुद्ध 117 व्यक्तियों को ₹ 28.12 लाख स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 67 व्यक्तियों को ₹ 17.80 लाख का अनियमित लाभ दिया गया (*परिशिष्ट 2.1*)।

सरकार द्वारा (नवंबर 2011) 27 मामलों में दोहरे भुगतान को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अन्य 23 मामलों में इन बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के व्यस्क होने एवं अलग पारिवारिक इकाई निर्मित किए जाने के कारण भुगतान किया गया।

अलग पारिवारिक इकाइयों के निर्माण के सम्बंध में बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सदस्य के व्यस्क होने एवं अलग पारिवारिक इकाई बनाए जाने की स्थिति में बी.पी.एल. सूची में उसकी नयी पहचान संख्या होनी चाहिए थी।

2.1.8.8 दोहरा भुगतान

गया जिले के बेलांगंज प्रखंड में नौ लाभार्थियों में प्रत्येक को ₹ 11000 द्वितीय किश्त की दर से दो बार (जनवरी 2010 एवं फरवरी 2010) भुगतान किया गया था फलस्वरूप ₹ 99 हजार का दोहरा भुगतान किया गया (*परिशिष्ट 2.2*)।

सरकार ने इस चूक को स्वीकार किया (नवंबर 2011) और कहा कि राशि की वसूली की जा चुकी थी एवं उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.1.8.9 इंदिरा आवास योजना की निधियों का ग्राम पंचायत को अनियमित हस्तान्तरण

सरकार के आदेश (अक्टूबर 2006) के अनुसार इंदिरा आवास योजना की राशि का संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तान्तरण किया जाना था। हॉलांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त तथ्यों की अवहेलना करते हुए वर्ष 2006–07 में पूर्वी चम्पारण जिला के 25 प्रखंडों द्वारा 14 ग्राम पंचायतों को ₹ 14.24 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी। इसी प्रकार मध्यूबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के 20 ग्राम पंचायतों के मुखियों को ₹ 97.81 लाख की सहायता राशि उपलब्ध (वर्ष 2006–07 में) करायी गई थी। उपरोक्त कुल राशियों में से ₹ 7.66 करोड़ पूर्वी चम्पारण एवं ₹ 79.56 लाख (बाबूबरही) के उपर्योग का ब्यौरा अंकेक्षण की अवधि (जुलाई 2011) तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उप-विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण ने कहा कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी के आदेशानुसर से भुगतान किया गया था।

¹⁴ अरेराज, बिहटा, चकिया, गया सदर, गुरारू, हरसिंहि, कटोरिया, फुलीडुमर और राजपुर।

इस प्रकार उत्तर से यह प्रमाणित होता था कि ग्राम पंचायतों और मुखियों को अनियमित रूप से निधियाँ विमुक्त की गई थीं और ₹ 8.45 करोड़ के अनुपयोगित रहने के कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.8.10 कालाजार पैकेज के अंतर्गत सहायता

इंदिरा आवास योजना को कालाजार से प्रभावित गाँवों तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा दो विशेष पैकेजों को आरंभ किया गया था। प्रथम पैकेज में सरकार ने ₹ 24.30 करोड़ स्वीकृत किया एवं 'मुशहर' समुदाय के लिए 12,840 आवासों (प्रत्येक चयनित कालाजार प्रभावित गाँवों में 60 इं.आ.यो. आवास) के निर्माण हेतु सात¹⁵ जिलों में 214 अत्यधिक कालाजार प्रभावित गाँवों का चयन किया। द्वितीय पैकेज में, 15¹⁶ जिलों के 1219 गाँवों में बी.पी.एल. परिवारों के लिए 73,140 इं.आ.यो. आवासों के निर्माण का निर्णय लेते हुए भारत सरकार द्वारा (फरवरी 2009) ₹ 191.99 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। सरकार को द्वितीय किश्त के विमुक्ति के लिए एक प्रस्ताव के साथ चार्टड लेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षित लेखे, बैंक समाशोधन विवरणी, प्रखंडवार व्यय विवरणी और भौतिक उपलब्धि उपस्थापित करना था। कालाजार पैकेज के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गईः

- लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त नहीं किया जाना

लेखा परीक्षा द्वारा दो¹⁷ नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. कार्यालयों में पाया गया कि संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि इस जिले में कालाजार से प्रभावित चार¹⁸ प्रखंडों के किसी लाभार्थी को द्वितीय किश्त की राशि का लाभ नहीं दिया गया था। इसके कारण ₹ 2.85¹⁹ करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद 1302 लाभार्थियों का आवास अपूर्ण रहा।

सरकार ने जवाब (नवंबर 2011) दिया कि जि.ग्रा.वि.अ., समर्तीपुर द्वारा द्वितीय किश्त का प्रस्ताव बहुत पहले ही भारत सरकार, ग्रामीण विं मंत्रालय को भेजा जा चुका था।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा (नवंबर 2010) में इन संबंधित जिलों से माँग किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लेखापरीक्षित लेखे/पृच्छाओं का उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया था।

- गैर-कर्णांकित गाँवों के लाभार्थियों के आवासों की अनियमित स्वीकृति

भारत सरकार के निदेशानुसार, विभाग द्वारा विशेष रूप से कालाजार प्रभावित गाँवों की उपलब्ध कराई गई सूची से लाभार्थियों का चयन किया जाना था।

¹⁵ पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, मध्यपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण और वैशाली।

¹⁶ अररिया, बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, दरभगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, मध्यपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ समर्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली।

¹⁷ पूर्वी चम्पारण और समर्तीपुर।

¹⁸ चकिया, हरसिंह, मोहनपुर और शाहपुर पटोरी।

¹⁹ चकिया (350 लाभार्थी: ₹ 84 लाख); हरसिंह (525 लाभार्थी: ₹ 126 लाख); मोहनपुर (166 लाभार्थी: ₹ 29.05 लाख) एवं शाहपुर पटोरी (261 लाभार्थी: ₹ 45.67 लाख)।

गैर-कर्णाकित गाँवों के लाभार्थियों के चयन के परिणापस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि दो²⁰ प्रखंडों के नौ गाँवों, जो स्वीकृत पत्र के संलग्नक में शामिल नहीं थे, के 443 लाभार्थियों का चयन किया गया था। गैर-कर्णाकित गाँवों के अयोग्य लाभार्थियों के चयन किये जाने के कारण ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार दो प्रखंडों (अरेराज एंवं चकिया) के गैर-कर्णाकित गाँवों के 443 लाभार्थियों को ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था।

सरकार ने (नवंबर 2011) लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया एंवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.1.8.11 प्रखंड स्तर पर मूल अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उपबंध 5.9 के अनुसार, इंदिरा आवास योजना की कार्यकारी एजेंसी को एक पूर्ण इनभेट्री तैयार करना था जिसमें आवास निर्माण का विस्तृत व्यौरा यथा कार्य की प्रगति, कार्यारंभ एंवं समाप्ति की तिथि, गाँव का नाम जिसमें अवस्थित है, नाम, पता, व्यवसाय और लाभार्थियों की कोटि इत्यादि शामिल होनी चाहिए थी। लाभार्थियों के पहचान एंवं चयन में दोहरीकरण से बचने के लिए यह इनभेट्री एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थी।

पुनः सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/प्रखंड वि. पदा. को दिए गए निर्देश (मई 2008) के अनुसार प्रत्येक पंचायतों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लाभुकों के संदर्भ में पूर्ण सूचनाओं का व्यौरा यथा लाभुकों का नाम, उम्र, स्थायी पता, जाति, बी.पी.एल. सं., प्रतीक्षा सूची की क्रम सं., फोटोग्राफ, बचत खाता सं. का व्यौरा, साथ ही लाभार्थियों के पिता/पति का नाम, निर्माण स्थल की छौहदारी इत्यादि तैयार किया जाना था।

नमूना जाँचित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया (जून से अगस्त तथा अक्टूबर 2011) कि प्र.वि.पदा. द्वारा संधारित अभिलेख यथा योजना-पंजी आदि में केवल लाभान्वितों के नाम, पिता/पति का नाम, योजना संख्या और भुगतानों के विवरण दर्ज थे।

लाभार्थियों के पहचान सम्बन्धी इन विस्तृत विवरणी के अभाव में इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गये आवासों या गृहविहीन परिवारों की सूची तैयार करना संभव नहीं था।

सरकार ने (नवंबर 2011) इस तथ्य को स्वीकार किया कि इ.आ.यो. के अभिलेखों के उचित संधारण की आवश्यकता थी तथा भविष्य में अनुपालन के प्रति आश्वस्त किया।

2.1.9 अल्प अभिसार (चूल्हा, शौचालय, पेय जल, विद्युतीकरण इत्यादि)

इ.आ.यो. की मार्गदर्शिका के उपबंध 3.2 एंवं 5.1 के अनुसार जि.ग्रा.वि.अ. को प्रत्येक इंदिरा आवास में सभी सुविधाएँ यथा एक शौचालय, धूँआरहित चूल्हा और पेयजल मुहैय्या करवाने हेतु सभी प्रयास करना था तथा इन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के साथ यथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के साथ सामंजस्य स्थापित करना था।

वर्ष 2006–11 में नमूना जाँचित जि.ग्रा.वि.अ. के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों (मा.प्र.प्र.) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि इ.आ.यो. के निर्मित आवासों में धूँआ रहित चूल्हा, शौचालय एंवं विद्युत-संयुक्तता क्रमशः चार, पाँच एंवं एक प्रतिशत थीं क्योंकि

²⁰ अरेराज एंवं चकिया।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले संबंधित विभागों में सम्बन्ध का अभाव था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान दो जि.ग्रा.वि.अभि. यथा पूर्वी चम्पारण एवं गया ने योजना के अभिसार का साक्ष्य प्रस्तुत किया।

2.1.10 इं.आ.यो. पट्ट एवं लोगो का प्रदर्शन नहीं किया जाना

इं.आ.यो. मार्गदर्शिका के उपबंध 5.10 के अनुसार आवास इकाइयों की पूर्णता पर सम्बद्ध जि.ग्रा.वि.अ. को इं.आ.यो. आवासों पर भारत सरकार के ग्रामीण आवास का लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम आदि का अधिष्ठापन सुनिश्चित करना था। इस मद पर किए गए खर्च को योजना के उपलब्ध निधि द्वारा अर्जित सूद की राशि से किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि 31 प्रखंडों में से केवल पाँच²¹ प्रखंडों में ₹ 6.79 लाख खर्च किया गया था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि अनेक इं.आ.यो. आवासों पर लोगो का अधिष्ठापन किया गया था। इनमें से कुछ को ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट पर देखा जा सकता था।

जवाब तथ्य से परे था क्योंकि 31 में से 26 नमूना जाँचित प्रखंडों में लोगो के अधिष्ठापन पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

2.1.11 अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (वी.एम.सी.) के दिशा निर्देश की कंडिका 3.5 के अनुसार इं.आ.यो. की अनुश्रवण की जिम्मेवारी राज्य एवं जिलों स्तर के वी.एम.सी. की थी। वी.एम.सी. को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर वी.एम.सी. की बैठक प्रत्येक तिमाही में आहूत की जानी थी।

आगे इं.आ.यो. मार्गदर्शिका के उपबंध 6.1 के अनुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर इं.आ.यो. से संबंधित अधिकारियों द्वारा जिलों का नियमित रूप से भ्रमण कर योजना का संतोषजनक कार्यान्वयन तथा आवासों के विहित प्रक्रिया के अनुरूप निर्माण किये जाने को सुनिश्चित करना था। उसी प्रकार जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को कार्य स्थलों पर पहुँच कर इं.आ.यो. के विभिन्न पहलुओं का अनुश्रवण करना था। राज्य स्तर पर प्रखंड स्तर तक पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हुए एक निरीक्षण सारणी तैयार की जानी थी एवं इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना था।

सरकार द्वारा सावधिक प्रतिवेदन/विवरणी, विहित किया जाना था जिससे जिला में इं.आ.यो. का अनुश्रवण किया जाना था। सरकार के दिशानिर्देश (मई 2009) के अनुसार प्रखंड स्तर पर शत-प्रतिशत इं.आ.यो. आवासों का निरीक्षण किया जाना था।

²¹ अरेराज: ₹ 35000; बाबूबरही: ₹ 11370; बिहटा: ₹ 107520; कटोरिया: ₹ 384000 एवं पंडौल: ₹ 141063।

राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं सावधिक समीक्षा अप्रभावकारी एवं अपर्याप्त थी।

वी.एम.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य स्तर एवं सभी जिला स्तरों पर कुल 20 बैठकें (चार बैठकें प्रति वर्ष) आयोजित की जानी थी। हाँलांकि राज्य स्तर पर सिर्फ दो बैठकें की गई। नमूना जाँचित जिलों में पाया गया कि वर्ष 2006–11 के दौरान 20 बैठकें के विरुद्ध दो से 15 बैठकें आयोजित की गई। यह भी पाया गया कि बैठकों में किए गए प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रतिवेदनों को भी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा वी.एम.सी. को नहीं दिया गया था।

जब उपरोक्त निरीक्षणों को विहित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित नहीं किया गया, तब विभाग द्वारा प्र.वि.पदा./अनु.पदा./जि.पदा. के लिए मासिक निरीक्षणों की सूची निर्धारित की गयी जिससे इ.आ.यो. आवासों की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। तत्पश्चात इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर एक व्यापक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय मुख्यालय में भेजा जाना था। नमूना जाँचित जिलों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि न तो उपरोक्त निरीक्षण किये गये एवं न ही कोई प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारियों को भेजे गये।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि यद्यपि वी.एम.सी. की बैठक प्रत्येक तिमाही में आहूत नहीं की गई, इससे यह निष्कर्ष लेना गलत होगा कि अनुश्रवण अप्रभावी था। ग्रा.वि.वि. के अधिकारियों एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा ससमय भ्रमण किया गया एवं इ.आ.यो. और अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया गया। वी.एम.सी. के बैठकों में अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिवेदित भी की गई। इस प्रकार इ.आ.यो. के अनुश्रवण को मजबूत करने के लिए लिखी गई चिट्ठी से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई निरीक्षण या पर्यवेक्षण के नहीं किए जाने के प्रति विभाग की स्वीकारोक्ति है।

2.1.11.1 अवास्तविक प्रतिवेदन/विवरणी

जि.ग्रा.वि.अभि./प्रखंडों द्वारा भेजे गए प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ संकलित की जाती थी। नमूना जाँच के दौरान पाया यह पाया गया कि प्रतिवेदन और विवरणी वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं थी क्योंकि लाभार्थी के अंतिम किस्त के भुगतान के आधार पर इ.आ.यो. के आवासों के निर्माण की पूर्णता प्रतिवेदित कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित वार्षिक व्यय उस वर्ष की रोकड़ पंजी के अनुसार वास्तविक व्यय से मेल नहीं खाते थे।

जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2011) कि आवास की पूर्णता के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में उपरोक्त विषय पर अधिकारियों में विरोधाभास हो सकता था। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि कार्य स्थलों के निरीक्षणों या भौतिक सत्यापनों से यह संकलन सत्यापित नहीं था।

2.1.12 सारांश

इ.आ.यो. के निष्पादन लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि वार्षिक योजनाएँ अनिर्मित एवं मासिक लक्ष्य अनिर्धारित थे। योग्य लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया सही नहीं थी चूँकि आवासविहीन बी.पी.एल. परिवारों की इ.आ.यो. प्रतिक्षा—सूची नहीं बनाई गई थी। केन्द्रांश की कम विमुक्ति, योजना निधियों का विचलन एवं प्रतिपूर्ति दावा भारत सरकार को जमा नहीं करने के कारण वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था। प्रखंडों द्वारा, लाभुकों को सहायता प्रदान किए जाने में प्रतीक्षा—सूची के वरीयता क्रम की अनदेखी, संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों को संदर्भित किए बगैर प्रखंडों द्वारा लाभार्थियों का अनियमित चयन, संबंधित जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा बी.पी.एल. ग्रामीण जमीन-

विहीन परिवारों के आवास के निर्माण के लिए भूमि का अनावंटन, प्रगति प्रतिवेदन से सम्बद्ध किये बगैर एकमुश्त भुगतानों की विमुक्ति, नक्सल पैकेजों के तहत् आवासों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राजकीय राजकोष पर अतिरिक्त भार, नौ लाभार्थियों को दो बार भुगतान के अलावा उपयोगिता प्रमाण—पत्र के जमा नहीं करने के कारण कालाजार पैकेज के द्वितीय किस्त का भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया जाने आदि किमियों से इं.आ.यो. का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। दयनीय अनुश्रवण प्रणाली इं.आ.यो. आवासों के भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने तथा अवारतविक प्रतिवेदनों और विवरणी के कारण योजना का वास्तविक लाभ लक्षित लाभार्थियों को देना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.1.13 अनुशंसा

सरकार यह विचार कर सकती है कि:

- प्रत्येक जिला एवं प्रखंड स्तरों पर वार्षिक योजनाओं का तैयार करना सुनिश्चित किया जाए, जो उसकी उपलब्धि के लिए मासिक योजना द्वारा सहायतित हो;
- बी.पी.एल. सूची से आवास विहीन परिवारों का चयन कर इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची बनाई जाए जो ग्राम सभा से अनुमोदित हो;
- निधि के महत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्तीय अनुश्रवण प्रणाली सुनिश्चित करें;
- नियत वित्तीय वर्ष में प्रतीक्षा सूची में वरीयता के आधार पर इं.आ.यो. आवास की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए और सभी भुगतानों को भौतिक प्रगति से सम्बद्ध किया जाए; एवं
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण और सुधारात्मक उपायों हेतु समय—समय पर मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

2.2 आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम

मुख्याकर्षण

भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण टोलों में, जहाँ जल में अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा सब-मिशन परियोजनाएँ चलायी गयी थी। भूमिगत जल प्रदूषण पर नियंत्रण, रोक एवं सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ राज्य में शुरू की गयी थी। राज्य में वर्ष 2006–11 के दौरान निवारण योजना का क्रियान्वयन अनेक कमियों यथा—योजना का अभाव, असंतोषप्रद वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र के जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफलता, परिचालन एवं अनुरक्षण नीति का अभाव, भूमिगत जल स्रोतों की जाँच में अल्प उपलब्धि तथा अप्रभावशाली अनुश्रवण प्रणालियों के कारण प्रभावित रहा। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् थे।

वर्ष 2006–09 के दौरान निधि की उपलब्धता के बावजूद वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(कोडिका 2.2.7.1)

उच्चतम प्रदूषित टोलों पर विचार किए बिना गैर प्राथमिक टोलों में प्रदूषण निवारण योजनाओं की संस्थीकृति दी गई। योजना बनाने हेतु केन्द्र और राज्य अभिकरणों के बीच समन्वय का अभाव रहा एवं जल गुणवत्ता समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(कोडिका 2.2.7.2 एवं 2.2.7.3)

विभागीय वित्तीय प्रबंधन असंतोषप्रद था क्योंकि निधि के 25 प्रतिशत राशि को प्रत्यर्पित किया गया साथ ही ₹ 13 करोड़ असैनिक जमा में अवरोधित रहा।

(कोडिका 2.2.8)

विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान राज्य के आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित 24420 टोलों में से केवल 1375 टोलों को प्रदूषक निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया।

(कोडिका 2.2.9)

आर्सेनिक प्रभावित टोलों में तकनीकी रूप से गैर-संभाव्य स्वच्छ कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसके फलस्वरूप लेखा परीक्षित प्रमंडलों में 585 स्वच्छ कूप अनिर्मित रहे तथा 262 टोले शुद्ध पेयजल से वंचित रहे।

(कोडिका 2.2.9.2)

नमूना—जाँचित प्रमंडलों में नलकूप जल की पूर्व-जाँच परीक्षण किए बिना ही ₹ 5.14 करोड़ की लागत पर आर्सेनिक एवं लौह निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ अधिष्ठापित की गई।

(कोडिका 2.2.9.4 एवं 2.2.9.8)

योजना के संचालन एवं अनुरक्षण अवधि बीत जाने के बाद अभिकरण द्वारा सृजित परिस्मृतियों का रख-रखाव नहीं किए जाने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(कोडिका 2.2.9.10)

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप इस घटक का अधिकतम प्रत्याशित लाभ प्राप्त नहीं हो पाया।

(कोडिका 2.2.10.1)

आधारभूत स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय परीक्षण उपकरण (किट्स) के क्रय पर ₹ 5.20 करोड़ के व्यय, अलाभप्रद रहे क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए गए थे।

(कांडिका 2.2.10.2)

विभिन्न प्रदूषण सुधार योजनाओं के प्रगति का सामयिक अनुश्रवण नहीं करने के कारण त्रुटियों/कमियों का पता नहीं लगाया जा सका।

(कांडिका 2.2.11)

2.2.1 प्रस्तावना

भूमि के सतह के अन्दर बेकार एवं दूसरे भौतिक तत्व जैसे प्रदूषक के प्रवेश के कारण जल के रासायनिक या जैविक विशेषता में परिवर्तन होता है जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है। बिहार के भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोरोराइड एवं लौह इत्यादि प्रमुख प्रदूषक हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2000 में जल गुणवत्ता समस्या के नियंत्रण हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (त्व.ग्रा.ज.यो.) के अन्तर्गत सब-मिशन परियोजना शामिल किया गया जिसमें राज्य द्वारा जल गुणवत्ता समस्या यथा फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, अत्यधिक लौह इत्यादि के कारण पीड़ित ग्रामीण टोलों हेतु भूमिगत जल संदूषण निवारात्मक कार्यक्रम लिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बिहार में 13²², 11²³ एवं नौ²⁴ जिले क्रमशः आर्सेनिक, फ्लोरोराइड एवं लौह संदूषण से प्रभावित थे। सरकार द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान 13 आर्सेनिक निवारण योजना, नौ फ्लोरोराइड निवारण योजना एवं चार लौह निवारण योजनाएँ स्वीकृत की गई। मार्च 2011 तक इनमें से केवल पाँच योजनाएँ (आर्सेनिक: दो तथा फ्लोरोराइड: तीन) पूर्ण थीं।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) शीर्ष अभिकरण है। राज्य स्तर पर प्रधान सचिव विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हें सरकार के स्तर पर अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव द्वारा सहायता किया जाता है। क्षेत्र स्तर पर जल गुणवत्ता निवारण कार्यक्रम सहित ग्रामीण जलापूर्ति योजना और स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभाग के आठ मुख्य अभियंता (मु.अभि.), 33 अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.) तथा 91 कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.) (आर्सेनिक: 79 एवं यांत्रिक: 12) जिम्मेवार हैं।

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (बि.रा.ज. एवं स्व.मि.) की स्थापना (सितम्बर 2004) मुख्य सचिव की शीर्षस्थता में की गई जो नीति निर्धारण के साथ जलापूर्ति से सम्बंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कायम करते हैं। लो.स्वा.अभि.वि. के सचिव बि.रा.ज. एवं स्व.मि. के संयोजक हैं। जिला स्तर पर जिला अधिकारी/उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.) की शीर्षस्थता में गठित जिला जल स्वच्छता समिति, जिसके सदस्य सचिव के रूप में लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं।

²² बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार, लक्खीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण और वैशाली।

²³ औरंगाबाद, बाँका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।

²⁴ अररिया, बेगुसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मध्यपुरा, पूर्णियाँ, सहरसा और सुपौल।

2.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र भूमिगत जल में शामिल तीन प्रदूषकों यथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह को कम करने के उपाय के क्रियान्वयन की जाँच तक सीमित था। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान तीनों प्रदूषकों के निवारण उपाय से सम्बन्धित संधारित अभिलेखों की जाँच की गई।

2.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- भूमिगत जल गुणवत्ता के निर्धारण एवं निवारण हेतु योजना प्रक्रिया सक्षम एवं प्रभावकारी थी;
- वित्तीय प्रबंधन सक्षम एवं प्रभावकारी था;
- भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सक्षम, प्रभावकारी एवं मितव्ययी था; एवं
- अनुश्रवण प्रक्रिया एवं मूल्यांकण पद्धति कार्यरत एवं प्रभावकारी थी।

2.2.5 लेखापरीक्षा प्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अनुमान्यतः समानुपातिक आकार से विस्थापन प्रक्रिया (प्रैवैविलिटी प्रोफोर्शनल टू साइज विथ रिप्लेसमेंट) अपनाते हुए 13 आर्सेनिक प्रभावित जिले में से चार²⁵, 11 फ्लोराईड प्रभावित जिले में से तीन²⁶ एवं नौ लौह प्रभावित जिले में से तीन²⁷ का चयन सांख्यिकी पद्धति से किया गया था। भूमिगत जल प्रदूषण के निवारण कार्य के मूल्यांकन हेतु सचिवालय स्तर पर तथा चयनित 10 जिले के 11²⁸ लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा जून से अगस्त 2011 के बीच में किया गया। विभाग के प्रधान सचिव से लेखापरीक्षा का उद्देश्य, इसकी कार्यप्रणाली, क्षेत्र की व्याख्या एवं विभागीय मंतव्य जानने हेतु मई 2011 में प्रारम्भिक बैठक की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विषयवस्तु की समझ/सूचनाओं के अद्यतन एवं समेकन, विस्तृत लेखापरीक्षा मार्गदर्शिका, जाँच सूची एवं प्रश्नावलियों को तैयार किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा के द्वारा सुसंगत सूचना/आँकड़े के संकलन और विश्लेषण की जाँच हेतु क्षेत्रों का दौरा किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में शामिल संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के जवाबों, अभिलेखों की प्रतिलिपियों और उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। तत्पश्चात क्षेत्रीय दौरा के पूर्ण होने पर मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग के साथ 22 नवम्बर 2011 को बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षों की विस्तृत चर्चा की गयी। निष्पादन समीक्षा के प्रारूपण के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं औचित्यों को ध्यान में रखा गया।

²⁵ आर्सेनिक: भागलपुर, बक्सर, खगड़िया और समस्तीपुर।

²⁶ फ्लोराईड: बाँका, जमुई और नवादा।

²⁷ लौह: पूर्णियाँ, सहरसा और सुपौल।

²⁸ बाका, भागलपुर (पूर्वी), भागलपुर (पश्चिमी), बक्सर, जमुई, खगड़िया, नवादा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, राहरसा और सुपौल।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए अपनाये जाने वाले मानक थे:

- पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986;
- राष्ट्रीय जल नीति, 2002;
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.का.) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) की मार्गदर्शिका; और
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश एवं परिपत्र।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये कमियों का वर्णन निम्नवत है:

2.2.7 योजना

आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक का निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना में (i) प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना (ii) प्रभावित इलाकों में भूमिगत जल में पाये जाने वाले प्रदूषण के स्तर को चिह्नित करना एवं अत्यधिक रासायनिक प्रदूषण वाले इलाकों में योजना स्वीकृत करना और (iii) राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों के बीच सामंजस्य से समस्याग्रस्त इलाकों को चिह्नित करने के लिए जल गुणवत्ता आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना समिलित था। विभाग वर्ष 2006–09 के दौरान वार्षिक कार्य योजना बनाने में विफल रहा जिसके कारण प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य इस अवधि में निर्धारित नहीं किया गया। यद्यपि विभाग ने प्रभावित इलाकों में प्रदूषण के स्तर को चिह्नित किया था परन्तु प्राथमिकता वाले टोले को चिह्नित करते समय जॉच नतीजों का इस्तेमाल करने में विफल रहा, जिसके कारण गैर प्राथमिकता वाले टोले में भी प्रदूषण निवारण करने वाली योजना क्रियान्वित की गई। राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों में सामंजस्य नहीं था। परिणामस्वरूप डब्लू.क्यू.आर.सी. की बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका। योजना में पाई गई कमियों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2.7.1 वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाया जाना

त्व.ग्रा.ज.यो. मार्गदर्शिका की कंडिका 5.2 (सी) के अनुसार विभाग को प्रत्येक वर्ष के शुरू में एक वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों को शामिल करने हेतु नाम, लक्ष्य, टोलों की संख्या इत्यादि जैसे विवरण सूचित कर रहे हो, को बनाना एवं भारत सरकार को प्रस्तुत करना था।

वार्षिक कार्य योजना के नहीं बनाये जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति हुई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 2006–09 के दौरान वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण प्रभावित इलाकों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था जो कि प्रदूषण निवारण करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति एवं इस अवधि में निधि के संचयन से देखा जा सकता था। यद्यपि विभाग द्वारा बताया गया कि 2009–10 से वार्षिक कार्य योजना बनाई जा रही थी।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बर्हिंगमन सम्मेलन (नवंबर 2011) में बताया कि 2008–09 तक आच्छादन के लक्ष्य का निर्धारण, प्रदूषण स्तर की प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग के द्वारा 2006–09 के दौरान कुल विमुक्त निधि का केवल 47 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका था।

2.2.7.2 गैर-प्राथमिकता वाले टोलों का आच्छादन

त्व.ग्रा.ज.यो. मार्गदर्शिकाओं की कंडिका 5.2 (बी) (अगस्त 2000) के तहत भूमिगत जल में अत्यधिक आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह की मात्रा को सूचित करते हुए गुणवत्ता समस्या से प्रभावित टोलों के नाम केन्द्र सरकार को भेजा जाना था। सरकार को एक शपथ-पत्र भी देना था कि जल प्रदूषण निवारण योजना में अत्यधिक रसायनिक प्रदूषण वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विभाग ने इन टोलों को एवं उनके प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए वर्ष 2007–09 के दौरान एक अभिकर्ता को 270,318 कार्यरत विभागीय भूमिगत जल स्रोतों की जाँच करने का कार्य सुपुर्द किया। अभिकर्ता ने जाँच किया और विभाग से ₹ 7.02 करोड़ राशि का भुगतान पाया। जाँच प्रतिवेदनों में पाया गया कि आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह की अत्यधिक मात्रा से संदूषित क्रमशः 4929, 24023 एवं 56699 स्रोत पाए गए (परिशिष्ट 2.3)।

विभाग ने प्रभावित टोलों में जल के संदूषण स्तर को बिना विचार किए ही निवारण योजनाओं को स्वीकृत किया

इन योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा प्राथमिकता वाले टोलों को चिह्नित करते समय जाँच परिणाम का उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अप्राथमिक टोलों में भी निवारण योजना को क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि लौह और फ्लोराईड प्रदूषण से अधिक प्रभावित क्रमशः 20 और पाँच जिलों को आच्छादित नहीं किया गया था जबकि लौह और फ्लोराईड प्रदूषण से कम प्रभावित क्रमशः सात और 11 जिलों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए आच्छादित किया गया (परिशिष्ट 2.4)।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बर्हिंगमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों को उच्चतम प्रदूषण स्तर वाले टोलों को अच्छादन हेतु प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया गया था। उत्तर स्वतः अनियमितता की स्वीकारेक्ति था।

इस प्रकार प्राथमिकता को ध्यान में नहीं रखते हुए निवारण योजनाओं को स्वीकृत करने के फलस्वरूप उच्चतर जोखिम वाले टोले अनाच्छादित रह गए और निम्नतर जोखिम वाले टोले आच्छादित हो गए।

2.2.7.3 अकार्यशील संस्थानों को भूमिगत जल प्रदूषण निवारण कार्य संभालना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राज्य जल गुणवत्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया (अप्रैल 2003), जिसके सदस्य सचिव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग थे। प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग और क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड इस समिति के सदस्य थे।

समिति का मुख्य कार्यकलाप अन्य कार्यों के अलावा जल गुणवत्ता अनुश्रवण नेटवर्क का संबंधित क्षेत्रों में समीक्षा, समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए जल गुणवत्ता वाले आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना और दीर्घकालीन गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य योजनाओं को विकसित करना, इसके अलावा निगरानी अनुश्रवण के लिए हॉट-स्पॉट²⁹ चिह्नित करना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को संवर्धित करना शामिल था।

केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के बीच सामंजस्य नहीं होने के फलस्वरूप जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों की संख्या में विसंगतियाँ थीं।

केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरण के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण जल गुणवत्ता समीक्षा समिति की वर्ष 2006–11 की अवधि में कोई बैठक नहीं हुई। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा संधारित आँकड़ों (15 आर्सेनिक, नौ फ्लोराईड और 19 लौह प्रभावित जिलों) और लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा संधारित आँकड़ों (13 आर्सेनिक, 11 फ्लोराईड और नौ लौह प्रभावित जिलों) में अंतर था। इस प्रकार, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों से संबंधित आँकड़ों में समानता के अभाव में कुछ आर्सेनिक, फ्लोराईड और लौह प्रभावित जिले³⁰ प्रदूषण निवारण योजनाएँ यथा पेयजल आपूर्ति इत्यादि के लाभ से वंचित रह गए।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

सब-मिशन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–08 की अवधि में पृथक निधियाँ विमुक्त की गई थीं और तत्पश्चात् त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियाँ विमुक्त की गई थीं। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए प्रदत्त निधियों में से 20³¹ प्रतिशत राशि का सब-मिशन/रा.ग्रा.पे.का. (जल गुणवत्ता) निवारण योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किया जाना था। मार्गदर्शिका के अनुसार सब-मिशन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008–09 तक केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच निधियों का अनुपात 75 : 25 था। उसके पश्चात् राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर निधियों का बैंटवारा किया जाना था।

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2006–11 की अवधि में सब-मिशन/जल गुणवत्ता परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 445.67 करोड़ प्राप्त किया, उसमें से ₹ 396.51 करोड़ (89 प्रतिशत) का उस अवधि में उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–09 की अवधि में उपलब्ध निधियों में से मात्र नौ और 11 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। वित्तीय वर्ष 2006–11 की अवधि में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सब-मिशन/जल गुणवत्ता परियोजनाओं के लिए विमुक्त निधि और व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

²⁹ महत्वपूर्ण गतिविधि या खतरे का स्थान।

³⁰ आर्सेनिक: पूर्णियाँ और किशनगंज, फ्लोराईड : बक्सर और सुपौल, लौह : औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, लक्खीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, राहतास, समस्तीपुर, सीवान, पूर्णी चंपारण और पश्चिमी चंपारण।

³¹ अच्छादन-50 प्रतिशत, धारणीयता-20 प्रतिशत, संचालन एवं रख-रखाव-10 प्रतिशत तथा जल गुणवत्ता-20 प्रतिशत।

सारणी सं. 1
विमुक्त निधियाँ और किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | भारत सरकार की निधि का प्रारंभिक शेष | निधि विमुक्त | | कुल उपलब्ध निधि | विभाग द्वारा प्रमंडल को विमुक्त निधि | | | कुल व्यय | राज्य निधि की प्रत्यार्पित राशि (5-(9+11)) | भारत सरकार निधि का अंतरशेष (5-(9+10)) |
|------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|--|---------------------------------------|
| | | भारत सरकार द्वारा | राज्य सरकार द्वारा | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2006-07 | 0.00 ³² | 22.46 | 13.11 | 35.57 | 16.60 | 13.11 | 29.71 | 23.23 (65) | 6.00 (46) | 6.34 |
| 2007-08 | 6.34 | 159.95 | 20.61 | 186.90 | 8.99 | 20.61 | 29.60 | 20.60 (11) | 9.00 (44) | 157.30 |
| 2008-09 | 157.30 | 0.00 | 5.63 | 162.93 | 59.15 | 5.63 | 64.78 | 15.16 (9) | 3.24 (58) | 144.53 |
| 2009-10 | 144.53 | 26.55 | 48.29 | 219.37 | 171.08 | 48.29 | 219.37 | 157.69 (72) | 12.41 (26) | 49.27 |
| 2010-11 | 49.27 | 94.01 | 55.06 | 198.34 | 143.28 | 55.06 | 198.34 | 179.83 (91) | 5.60 (10) | 12.91 |
| कुल | | 302.97 | 142.70 | | | | | 396.51 (89) | 36.25 (25) | |

(स्रोत : लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

सारणी सं. 1 और विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य पाए गए :

विभाग का वित्तीय प्रबंधन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष 2006-11 की अवधि में उपलब्ध निधि का 25 प्रतिशत राशि प्रत्यार्पित की गई।

- वित्तीय वर्ष 2006-11 की अवधि में उपलब्ध निधि के विरुद्ध नौ और 91 प्रतिशत के बीच का व्यय योजनाओं की धीमी गति से क्रियान्वित किया जाना इंगित करता था, विशेषकर वर्ष 2007-09 में यह इस तथ्य से प्रमाणित होता था कि उक्त अवधि में 14 योजनाओं में से मात्र पाँच योजनाएँ ही पूर्ण की गईं।
- वित्तीय वर्ष 2006-11 की अवधि में विमुक्त कुल राज्यांश ₹ 142.70 करोड़ के विरुद्ध ₹ 36.25 करोड़ (25 प्रतिशत) राशि, प्रमंडलों को वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप प्रत्यार्पित की गयी।
- वर्ष 2006-07 में विभाग ने ₹ 13 करोड़ राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जबकि उक्त राशि को असैनिक जमा में रखा गया था। जिससे उस वर्ष का व्यय ₹ 13 करोड़ से बढ़ गया।

विभाग वर्ष 2006-11 की अवधि में विमुक्त निधि का 89 प्रतिशत राशि ही उपयोग कर सका। विमुक्त राज्यांश निधि का 25 प्रतिशत राशि प्रत्यार्पित करने के साथ असैनिक जमा में निधि का रखा जाना और इसके साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय का गलत चित्रण-विभाग में असंतोषप्रद वित्तीय प्रबंधन इंगित करता था।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में यह स्वीकार करते हुए कि निधि को वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त करने के कारण राशि को प्रत्यार्पित किया गया, बताया कि योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किए जाने का कारण संविदा पद्धति में बदलाव (टर्न की) था, जिसके फलस्वरूप योजनाओं को पूर्ण करने में

³² सब-मिशन कार्यक्रम के लिए पृथक निधि मात्र वर्ष 2006-07 में जारी की गई थी। त्व.ग्रा.ज.यो. का अन्त शेष को त्व.ग्रा.ज.यो. (सामान्य) के निधियों में रखा गया जिसके लिए भारत सरकार को पृथक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाता था। इस तरह, वर्ष 2006-07 का प्रा. शेष शून्य था।

अतिरिक्त समय लगा। इसके अतिरिक्त राशि को असैनिक जमा में वित्त विभाग की अनुमति से रखा गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवर्तित निविदा पद्धति की भी एक निर्दिष्ट समापन अवधि थी, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशा में निधियों की निकासी और राशि को असैनिक जमा में रखना विहार सरकार के वित्तीय नियमों के विपरीत था।

2.2.9 योजनाओं का क्रियान्वयन

अक्टूबर 1999 में प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग की अध्यक्षता में राज्य रत्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस. एल. एस. सी. सी.) गठित की गई। एस.एल.एस.सी.सी. सब-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी था।

बिहार में 24420³³ टोलों को आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषण से प्रभावित चिह्नित किया गया था। विभाग द्वारा 2006–11 में ₹ 1270.33 करोड़ की लागत पर 26 योजनाओं को शुरू किया गया, जिससे 13639³⁴ टोलों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके लेकिन ₹ 396.51 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी मात्र 1375³⁵ टोलों को ही आच्छादित किया जा सका (परिशिष्ट 2.5)।

विभाग द्वारा 2006–11 के दौरान शुरू की गयी 26 योजनाओं में से 14³⁶ योजनाओं को मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था। उनमें से विभाग मात्र पाँच³⁷ योजनाओं को ही पूर्ण कर सका था। आर्सेनिक निवारण संबंधित सात योजनाओं के अपूर्ण रहने का मुख्य कारण प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं की संभाव्यता पर विचार किए बिना स्वच्छता कुओं की संस्कृति और बहुग्रामी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाना था। फ्लोराईड एवं लौह निरोधक के लिए एक-एक योजना मुख्यतः निविदा निष्पादन में विलम्ब और संवेदक से निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करवाने में विभाग की विफलता के कारण अपूर्ण रह गई। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

आर्सेनिक प्रदूषक निवारण योजनाएँ

भूजल में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण आर्सेनिकमय कटिबंध से होता है। चिरकालिक आर्सेनिक जहर का लक्षण कई प्रकार के जख्मों, मांसपेशीय दुर्बलता, हाथ-पैर के निचले हिस्से में पक्षाघात इत्यादि होता है। जल के आर्सेनिक संदूषित दीर्घकालिक उपयोग से चर्म, गुर्दा एवं फेफड़े का कैंसर हो सकता है। भारतीय मानक (बी.आई.एस. 10500) के अनुसार, आर्सेनिक का अधिकतम अनुमान्य सीमा 0.05 मिली ग्राम/लीटर (50 अंश प्रति बिलीयन) है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लो.स्वा.अभि. विभाग के ऑकड़ों के अनुसार 13 जिलों के 1590 टोले आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित थे।

³³ आर्सेनिक : 1590 टोले, फ्लोराईड : 4157 टोले और लौह : 18673 टोले

³⁴ आर्सेनिक : 1514 टोले, फ्लोराईड : 1829 और लौह : 10296 टोले

³⁵ आर्सेनिक : 424 टोले, फ्लोराईड : 528 टोले और लौह : 423 टोले

³⁶ आर्सेनिक : नौ योजनाएँ, फ्लोराईड : चार योजनाएँ और लौह : एक योजना

³⁷ आर्सेनिक : दो, फ्लोराईड : तीन और लौह : शून्य

2.2.9.1 आर्सेनिक प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

विभाग ने वर्ष 2006–11 के दौरान अल्प एवं दीर्घकालिक निवारण योजनाओं को अपनाया। अल्पावधिक उपायों में विभाग द्वारा तीन योजनाएँ यथा स्वच्छता कुँआ³⁸, गहरे नलकूप³⁹ और आर्सेनिक निष्कासन फिल्टर⁴⁰ की शुरूआत की गई, जबकि दीर्घावधि उपायों में अभिक्रिया संयंत्रों⁴¹ और पाईप–जलापूर्ति⁴² योजनाएँ आरंभ की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 की अवधि में 1514 आर्सेनिक प्रभावित टोलों और 633 विद्यालयों में पीने योग्य/शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए ₹ 804.48 करोड़ के लागत से 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इनमें से विभाग द्वारा मार्च 2011 तक ₹ 313.64 करोड़ राशि व्यय करने के बावजूद मात्र 424 टोलों और 218 विद्यालयों को ही आच्छादित किया जा सका था (परिशिष्ट–2.5)।

1590 आर्सेनिक प्रभावित टोलों के विरुद्ध 1166 टोलों को आच्छादित नहीं किया जा सका और वे सुरक्षित पेयजल से अब तक वंचित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 1590 आर्सेनिक प्रभावित टोलों के विरुद्ध 1514 टोलों को आच्छादित करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी गई और मार्च 2011 तक मात्र 424 टोलों को ही आच्छादित किया जा सका, परिणामस्वरूप 1166 टोले शुद्ध पेयजल सुविधाओं से वंचित रहे। अवशेष टोलों का आच्छादन करने की योजनाएँ पूर्ण नहीं की जा सकी जिसका कारण आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं की संभाव्यता पर बिना विचार किए स्वच्छता कुँओं की स्वीकृति, बहुग्रामी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए भू–अर्जन नहीं किया जाना और प्रभावित टोलों के लिए योजनाओं को विलम्ब से स्वीकृत किया जाना था।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में बताया कि स्थल चयन, भूमि अर्जन, समाधान तकनीकी के चयन, साधनों के आयात आदि में विलंब के कारण योजनाएँ अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त उक्त योजना एक नई अवधारणा थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गुणवत्ता जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन नई अवधारणा नहीं थी और अगस्त 2000 में ही सब–मिशन कार्यक्रम द्वारा जल गुणवत्ता समस्या के लिए योजनाओं को प्रारम्भ किया गया था।

2.2.9.2 स्वच्छता कुँओं के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

कुँओं में वायु की उपस्थिति एवं वायु सहित जल गहरे कुँए के आस पास मिट्टी को ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत मिट्टी के द्वारा इन कुँओं में जल के प्रवेश करने से इन कुँओं के जल में आर्सेनिक की सांद्रता काफी कम हो जाती है।

अल्पावधिक निवारण उपायों के रूप में विभाग 719 टोलों (2 कुँआ प्रति टोला) एवं 133 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए ₹ 18.79⁴³ करोड़ की आकलित लागत पर वर्ष 2008–09 तक पूर्ण करने हेतु 1571⁴⁴ स्वच्छता कुँओं को स्वीकृत (वर्ष 2006–07)

³⁸ खुले कुँए का जल आर्सेनिक प्रदूषण से मुक्त रहता है।

³⁹ गहरे सतह का जल आर्सेनिक प्रदूषक से मुक्त रहता है।

⁴⁰ चापाकलों के साथ फिल्टरों को जोड़कर आर्सेनिक प्रदूषक का निरोधन किया जाता है।

⁴¹ आर्सेनिक अभिक्रिया संयंत्र एडजॉर्डसन तकनीक पर आधारित है, जिसमें गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है तथा जल का शुद्धीकरण संयंत्र के साथ जुड़े फिल्टर के द्वारा किया जाता है।

⁴² गंगाजल, जो कि आर्सेनिक मुक्त रहता है, को पाईप के द्वारा उपयोग कर शुद्ध पेयजल सुविधा।

⁴³ टोलों : ₹ 16.97 करोड़ और विद्यालय : ₹ 1.82 करोड़

⁴⁴ टोलों के लिए 1438 और विद्यालयों के लिए 133

किया। उनमें से मात्र 516⁴⁵ (33 प्रतिशत) स्वच्छता कुँओं का निर्माण मार्च 2011 तक ₹ 10.39⁴⁶ करोड़ व्यय करने के बाद पूर्ण किया गया।

नमूना जाँचित प्रमंडलों⁴⁷ में, यद्यपि 377 टोलों एवं 94 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए 848⁴⁸ स्वच्छता कुँओं का निर्माण ₹ 11.34⁴⁹ करोड़ की प्राक्कलित राशि पर किया जाना था, परन्तु ₹ 2.50⁵⁰ करोड़ व्यय करने के बाद मात्र 263⁵¹ स्वच्छता कुँओं का निर्माण कर (जून-जूलाई 2011) 115 टोलों और 34 विद्यालयों को ही आच्छादित किया जा सका। नमूना जाँचित प्रमंडलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार नहीं किया गया था। इसके बदले, आदर्श प्राक्कलन को ही डी.पी.आर. के रूप में व्यवहार किया गया और तकनीकी संभाव्यता का आकलन किए बिना ही योजनाओं की स्वीकृति की गई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अवशेष 585 स्वच्छता कुँओं के निर्माण का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि गांगीय प्रक्षेत्रों में कुँए बालू से भर जाते थे और उन क्षेत्रों में स्वच्छता कुँओं का निर्माण कठिन था। इसके अतिरिक्त 263 में से 160⁵² स्वच्छता कुँओं का निर्माण नमूना परीक्षित प्रमंडलों में ₹ 1.62 करोड़ राशि पर किया गया था जो कि चापाकलों का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के फलस्वरूप अकार्यशील थे।

आर्सेनिक प्रभावित टोलों में योजना की तकनीकी संभाव्यता को सुनिश्चित किये बिना स्वच्छता कुँओं का निर्माण किया गया।

इस प्रकार योजनाओं की तकनीकी संभाव्यता का आकलन किए बिना स्वच्छता कुँओं के निर्माण की स्वीकृति के फलस्वरूप मार्च 2011 तक 585 स्वच्छता कुँओं का निर्माण अपूर्ण रहा और 262 टोले स्वच्छ/शुद्ध पेयजल से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त चापाकलों के अधिष्ठापित नहीं होने के फलस्वरूप 160 स्वच्छता कुँए अकार्यशील थे एवं इसके फलस्वरूप उस पर किया गया ₹ 1.62 करोड़ का व्यय अलाभकारी था।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा बहिर्गमन बैठक (नवम्बर 2011) में बताया गया कि आर्सेनिक उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक के अभाव में अस्थाई उपाय के रूप में स्वच्छता कुँओं का निर्माण किया गया, लेकिन रेतीली मिट्टी के कारण आवश्यक गहराई तक कुँआ का निर्माण मुश्किल हो गया।

2.2.9.3 भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य का आवंटन

मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) की कंडिका 17.5 में यह वर्णित है कि किसी भी कार्य की निविदा करने के पूर्व भूमि का अर्जन कर लिया जाना चाहिए।

बक्सर जिले के सिमरी और बक्सर प्रखंडों के अंतर्गत 130 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए विभाग ने बहुग्रामी पाईप द्वारा जलापूर्ति योजना ₹ 112.57 करोड़ राशि के लिए स्वीकृत किया (मार्च 2008)। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने निविदा के आधार पर मेसर्स आई. वी. आर. सी. एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ वार्ता कर तय राशि ₹ 100.50

⁴⁵ टोले : 460 और विद्यालय : 56

⁴⁶ टोलों के लिए ₹ 9.75 करोड़ और विद्यालयों के लिए ₹ 0.64 करोड़

⁴⁷ भागलपुर, बक्सर, खगड़िया और समस्तीपुर

⁴⁸ टोले : 754 और विद्यालय : 94

⁴⁹ टोले : ₹ 10.05 करोड़ और विद्यालय : ₹ 1.29 करोड़

⁵⁰ टोले : 229 (बक्सर : 124, भागलपुर : 17, खगड़िया : 47, समस्तीपुर : 41); विद्यालय : 34 (बक्सर : 13, भागलपुर : शून्य, खगड़िया : 8, समस्तीपुर : 13)

⁵¹ भागलपुर: ₹ 0.25 करोड़, बक्सर: ₹ 1.52 करोड़, खगड़िया: ₹ 0.24 करोड़ एवं समस्तीपुर: ₹ 0.49 करोड़

⁵² बक्सर : 137 और खगड़िया : 23

करोड़ पर एकरारनामा किया (जून 2009), जिसके अनुसार कार्य नवम्बर 2011 तक पूर्ण करना था।

भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना बहुग्रामी पाइप द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि उक्त कार्य बिना भूमि अर्जित किए ही आवंटित एवं प्रारम्भ किया गया। एजेंसी ने फिटिंग्स, पाईप और अन्य मदों को बिछाया और उसे ₹ 76.78 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2011)। यद्यपि भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को भूमि अर्जित करने हेतु ₹ 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2010), परन्तु उनके द्वारा योजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने की संभावना क्षीण थी। पूर्व में पूर्ण किए गए कार्य एवं सामग्री, जिसके लिए ₹ 76.78 करोड़ का भुगतान हो चुका था, की सुरक्षा एवं संरक्षा भी चिन्ता का विषय थी। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन नहीं होने के फलस्वरूप संवेदक द्वारा मूल्य वृद्धि/क्षति का दावा भी हो सकता था। उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही संविदा करने की अनावश्यक जल्दबाजी की गयी और प्रभावित टोले सुरक्षित पेयजल से वंचित रहे।

मु.अभि. (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवंबर 2011) कि भविष्य में भू-अर्जन के बाद ही निविदा निकाली जाएगी।

२.२.९.४ नलकूप जल की पूर्व जाँच किए बिना ही आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन

एस.एल.एस.सी.सी. की बैठक (नवम्बर 2009) की कार्यवाही में आर्सेनिक प्रभावित विद्यालयों में वैकल्पिक/तत्काल राहत के लिए आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई को अधिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया था। उन संलग्नक इकाईयों को विद्यालयों में आर्सेनिक प्रदूषण की सांद्रता स्तर के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अधिष्ठापित किया जाना था।

संविदा के आधार पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने मेसरस अनीर इंजिनियर्स इंक, कोलकत्ता के साथ आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण विद्यालयों में 500 आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाईयों की आपूर्ति, अधिष्ठापन और संरक्षण के लिए एकरारनामा किया (अप्रैल 2010)। उक्त कार्य की एकरारित राशि ₹ 2.66 करोड़ थी और कार्य को मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था।

अभिकरण द्वारा 500 आर्सेनिक निष्कासन संयंत्र संलग्नक इकाईयों के विरुद्ध मात्र 162 इकाईयों को ही ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर अधिष्ठापित किया गया (अगस्त 2011)।

नमूना-जाँचित प्रमंडलों में आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाईयों के अधिष्ठापन से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् थी:

सारणी सं. 3

विद्यालयों में आर्सेनिक निष्कासन चापाकल संलग्नक इकाईयों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

| क्रम सं. | जिला | भौतिक लक्ष्य | उपलब्धि | | स्थल का पूर्व जाँच प्रतिवेदन निर्गत | व्यय की गई राशि (₹ लाख में) |
|----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | आपूर्ति | अधिष्ठापन | | |
| 1. | भागलपुर | 42 | 12 | 0 | किया गया | 0.05 |
| 2. | बक्सर | 38 | 38 | 30 | किया गया | 16.15 |
| 3. | खगड़िया | 38 | 38 | 0 | नहीं किया गया | 16.15 |
| 4. | समर्टीपुर | 38 | 38 | 38 | नहीं किया गया | 7.95 |
| | कुल | 156 | 126 | 68 | | 40.30 |

नलकूप जल का पूर्व-जाँच किए बिना ही आर्सेनिक निष्कासन संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 34.19 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

आपूर्ति की गई 126 इकाईयों (सितम्बर 2011) में से मात्र 68 इकाईयाँ (44 प्रतिशत) ही अधिष्ठापित की गई (सितम्बर 2011) और ₹ 40.30 लाख का भुगतान विमुक्त किया गया। यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर ने 19 इकाईयाँ, जिनकी लागत ₹ 10.09 लाख थी, को उन विद्यालयों में अधिष्ठापित कर दिया जहाँ पर आर्सेनिक प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमा के अंतर्गत था। इसके अतिरिक्त, दो नमूना—जाँचित जिलों⁵³ में नलकूप के जल की पूर्व-जाँच किए बिना, जो कि विद्यालयों के भू-जल स्रोतों में प्रदूषण स्तर का निर्धारण कर प्राथमिकता तय करने के लिए आवश्यक था, इकाईयों का अधिष्ठापन स्थल आवंटित किया गया, तथापि प्रमंडलों द्वारा एस.एल.सी.सी. प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ₹ 24.10 लाख का भुगतान विमुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में मात्र 68 इकाईयों का अधिष्ठापन संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करवाने के प्रति विभाग की विफलता को इंगित करता है, जिसके फलस्वरूप उक्त विद्यालयों के बच्चे शुद्ध पेयजल से वंचित रहे।

अतः अपरिष्कृत जल की पूर्व जाँच किए बिना विद्यालयों का चयन और आवश्यकता के आकलन किए बिना या जहाँ आर्सेनिक प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमा के अंतर्गत था, उन विद्यालयों में उपचारात्मक इकाईयों के अधिष्ठापित करने के फलस्वरूप ₹ 34.19 लाख का अलाभकारी व्यय किया गया।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों को संलग्नक इकाई के अधिष्ठापन से पूर्व अपरिष्कृत जल के पूर्व जाँच किए जाने के निर्देश का अनुसरण नहीं करने के लिए पृच्छा की जाएगी।

फ्लोराईड उपचारात्मक योजना

फ्लोराईड युक्त खनिज वाले मृदा क्षेत्र के भूगर्भीय जल में फ्लोराईड प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लम्बी अवधि तक ग्राह्य सीमा से अधिक फ्लोराईड युक्त जल ग्रहण करने से दन्त्य फ्लोरोसिस, कंकालीय एवं अकंकालीय फ्लोरोसिस के अतिरिक्त कोमल उत्तकों, अंगों एवं शरीर की प्रणाली को भी नुकसान पहुँचता है। भारतीय मानक (बी.आई.एस. – 10500) के अनुसार फ्लोराईड की अधिकतम ग्राह्य सीमा 1 मि.ग्रा./ली. (पी.पी.एम.) एवं विकल्प के अभाव में अधिकतम ग्राह्य सीमा 1.5 पी.पी.एम. थी। बिहार राज्य में 11 जिलों के 4157 टोले फ्लोराईड प्रदूषण से प्रभावित थे।

⁵³ खगड़िया और समर्टीपुर।

2.2.9.5 फ्लोराईड प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

4157 फ्लोराईड प्रभावित टोलों में से 3629 टोले शुद्ध पेयजल से अभी भी बंधित थे।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग द्वारा तीन प्रकार की फ्लोराईड संदूषक निवारण योजनाएँ प्रारंभ की गयी थथा फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई⁵⁴, सौर आधारित फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र⁵⁵ एवं पाइप जलापूर्ति योजना⁵⁶। विभाग द्वारा वर्ष 2006–11 के दरम्यान नौ योजनाओं⁵⁷ की, ₹ 225.81 करोड़ की लागत पर 1829 टोलों एवं 1000 विद्यालयों में फ्लोराईड मुक्त जल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2011 तक 528 टोलों तथा 101 विद्यालयों को ₹ 41.80 करोड़ के व्यय पर आच्छादित किया गया (परिशिष्ट-2.5)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने कुल 4157 फ्लोराईड प्रभावित टोलों के विरुद्ध 1829 टोलों में योजना आरंभ किया तथा मार्च 2011 तक मात्र 528 टोलों तथा 101 विद्यालयों को आच्छादित किए जाने के कारण 3629 टोले तथा 899 विद्यालयों स्वच्छ जल से बंधित रहे। पुनः यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा प्रभावित टोलों हेतु योजना की स्वीकृति, निविदा निस्तारण एवं संवेदक द्वारा ससमय कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण प्रभावित टोले अल्प आच्छादित रहे।

2.2.9.6 फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई पर अलाभकारी व्यय

जनवरी 2008 में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.सी.) द्वारा ₹ 4.22 करोड़ की लागत पर 1000 फ्लोराईड/आर्सेनिक⁵⁸ निष्कासन संलग्नक इकाइयों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु कार्य आवंटन का अनुमोदन किया गया। कार्य हेतु मेसर्स अनीर इंजीनियर्स इंक, कोलकता के साथ एकरारनामा (जून 2009) किया गया। यद्यपि कार्य को छः माह (दिसम्बर 2009) में संपन्न करना था तथापि, मार्च 2011 में ₹ 3.69 करोड़ के व्यय पर मात्र 875 इकाइयाँ अधिष्ठापित की जा सकीं।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि लो.स्वा.प्रमंडल, बाँका से अभिकरण द्वारा 75 फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयों की आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 27 लाख प्राप्त किया गया। इनमें से मात्र 43 इकाइयाँ मार्च 2011 तक अधिष्ठापित की गई थीं। हाँलाकि इन अधिष्ठापित 32 इकाइयों के परिष्कृत जल एवं अपरिष्कृत जल में फ्लोराईड की सांद्रता समान पाई गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.52 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। यह अपरिष्कृत जल में से फ्लोराईड प्रदूषक के उपचार हेतु अधिष्ठापित संलग्नक इकाई की गुणवत्ता को प्रश्नाकित करती है।

लौह प्रदूषक निवारण उपाय

लौह कण की अधिकता के कारण जल, पेय जल के रूप में अनुपयुक्त हो जाता है हाँलाकि इसका स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसे जल से सफाई करने पर कपड़े एवं बर्तन पर दाग-धब्बा छोड़ता है तथा खाना पकाने में अधिक ईंधन एवं समय की खपत होती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस. – 10500) के अनुसार पीने के पानी में लौह की अधिकतम स्वीकार्य रीमा 0.3 मि.ग्रा./ली. एवं विकल्प स्रोतों के अभाव

⁵⁴ फ्लोराईड प्रदूषक के निष्कासन हेतु चापाकलों में फिल्टर संलग्नक इकाई का अधिष्ठापन

⁵⁵ फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र एडजॉर्सन तकनीक पर आधारित है जिसमें डीप ट्यूबवेल का निर्माण कर जल को संयंत्र के साथ संलग्न फिल्टर द्वारा उपचारित किया जाता है।

⁵⁶ निष्काषित गंगा जल को उपचारित कर फ्लोराईड मुक्त शुद्ध जलापूर्ति।

⁵⁷ सौर आधारित फ्लोराईड उपचारात्मक संयंत्र –4, फ्लोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई –3, पाइप जलापूर्ति योजना –2

⁵⁸ आर्सेनिक : 125 तथा फ्लोराईड : 875

में एक मि.ग्रा./लि. अनुमत्य है। लो. स्वा. अभि. वि. के आँकड़ों के अनुसार राज्य में नौ जिलों के 18673 टोले लौह प्रदूषण से प्रभावित थे। विभाग द्वारा लौह संदूषण निवारण हेतु दो प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया गया यथा लौह निष्कासन संयंत्र के साथ चापाकल⁵⁹ तथा सौर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र,⁶⁰ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

2.2.9.7 लौह प्रभावित टोलों का अल्प आच्छादन

18673 लौह प्रभावित टोलों में से 18250 टोले अभी भी शुद्ध जल से वंचित थे।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग द्वारा 10296 लौह प्रभावित टोलों को लौहमुक्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु ₹ 240.04 करोड़ की चार योजनाओं⁶¹ की स्वीकृति दी गई। मार्च 2011 तक ₹ 41.07 करोड़ के व्यय के बावजूद मात्र 423 टोलों को लौहमुक्त जल उपलब्ध कराया गया (परिशिष्ट-2.5)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि विभाग द्वारा कुल 18673 लौह प्रभावित टोलों के विरुद्ध मात्र 10296 टोलों में लौह-मुक्त जल उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारंभ की गई और मात्र 423 टोलों को आच्छादित किया जा सका। इसके कारण मार्च 2011 तक 18250 टोलों स्वच्छ जल से वंचित रहे। पुनः यह ज्ञात हुआ कि मुख्यतः विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब तथा संवेदक द्वारा ससमय कार्य निष्पादन कराने में असफल रहने के कारण प्रभावित टोले अल्पाच्छादित रहे।

2.2.9.8 आवश्यक जाँच के बगैर लौह निष्कासन संयंत्र का अधिष्ठापन

भूगर्भीय जल स्रोतों का पूर्व-जाँच किए बगैर लौह निष्कासन संयंत्रों का अधिष्ठापन किया गया।

अत्यधिक लौह प्रदूषित (5 से 6 पी.पी.एम.) जिलों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4703⁶² लौह निष्कासन संयंत्र (आई.आर.पी.) युक्त चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु फरवरी एवं जुलाई 2006 में स्वीकृति प्रदान की गई। संविदा (फरवरी 2009) के आधार पर आई.आर.पी. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य अभियंता-प्रमुख द्वारा मेसर्स अनीर इंजीनियर्स इंक, कोलकता को आवंटित (जून 2009) किया गया एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमङ्गल, मधेपुरा द्वारा ₹ 11.03 करोड़ की लागत पर 4703 आई.आर.पी. के लिए जून 2010 तक पूरा करने के उद्देश्य से एकरारनामा (जून 2009) किया गया।

कार्यादेश के अनुसार कार्यपालक अभियंताओं को संबंधित जिलों के लौह प्रदूषित टोलों को विहित करने के पश्चात उच्च प्रदूषण स्तर के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करना था। चापाकलों का जल गुणवत्ता प्रतिवेदन आई.आर.पी. के अधिष्ठापन के पूर्व प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँचित जिलों में ₹ 6.51 करोड़ की लागत पर स्वीकृत 2049 आई.आर.पी. के प्रतिष्ठापन का विवरण तालिका सं. 4 में दिया गया है :

⁵⁹ लौह प्रदूषक निवारण हेतु फिल्टरस्युक्त चापाकल।

⁶⁰ सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली तकनीक पर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र एवं जल को फिल्टर से शुद्ध किया जाना था।

⁶¹ लौह निष्कासन संयंत्र युक्त चापाकल : 3 तथा सौर आधारित लौह उपचारात्मक संयंत्र : 1 अररिया : 536, बेगूसराय : 245, कटिहार : 538, खगड़िया : 240, किशनगंज : 626, मधेपुरा : 469, पूर्णिया : 1151, सहरसा : 428, सुपौल : 470

तालिका सं. 4
नमूना जाँचित जिलों में आई.आर.पी. अधिष्ठापन का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | जिला का नाम | प्राक्कलित राशि | लक्ष्य | उपलब्धि | | व्यय | साधारण जल का नमूना जाँच |
|----------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | आपूर्ति / आपूर्ति की तिथि | अधिष्ठापन | | |
| 1 | पूर्णिया | 3.66 | 1151 | 1151/ अक्टूबर 2010 | 85 | 2.74 | नहीं किया गया |
| 2 | सहरसा | 1.36 | 428 | 428/ जनवरी 2010 | 42 | 1.09 | नहीं किया गया |
| 3 | सुपौल | 1.49 | 470 | 452/ मार्च 2010 | 5 | 0.97 | नहीं किया गया |
| | कुल | 6.51 | 2049 | 2031(99) | 132 (6) | 4.80 | |

(कोष्ठ में अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।)

अभिकरण द्वारा अधिष्ठापित किए जाने वाले 2049 आई.आर.पी. के विरुद्ध 2031 (99 प्रतिशत) आई.आर.पी. की आपूर्ति (सितम्बर 2011) की गई जिसके लिए उसे ₹ 4.80 करोड़ का भुगतान किया गया। इनमें से मात्र 132 (छ: प्रतिशत) आई.आर.पी. का अधिष्ठापन किया गया। 1917 आई.आर.पी. नवम्बर 2011 तक अधिष्ठापित नहीं किया जा सका जिससे स्पष्ट था कि विभाग, संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य निष्पादन कराने में, असफल रहा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि प्रमंडलों द्वारा इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व भू-जल स्रोतों का पूर्व-जाँच नहीं किया गया था।

संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अपरिष्कृत जल का पूर्व-जाँच नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा से सहमति प्रकट की गई तथा कहा गया कि संवेदकों से बारंबार आग्रह के बावजूद अपरिधित नहीं होने के कारण इकाइयों अनाधिष्ठापित पड़ी थी।

इस प्रकार पूर्व जल-जाँच नहीं होने के कारण लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापन पर ₹ 4.80 करोड़ का व्यय प्रमाणित नहीं किया जा सका।

2.2.9.9 जलमणि कार्यक्रम

संबंधित लो.स्वा.प्र. को निर्गत कार्यादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्यपालक अभियंताओं को उनके जिलों में प्रदूषित जल स्रोतों वाले विद्यालयों चिह्नित कर उच्चतम प्रदूषण के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करना था। चापाकलों का जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन उपचारात्मक संयंत्र इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व प्राप्त किया जाना था।

विद्यालयों में जल शुद्धीकरण प्रणाली एवं संलग्नक इकाइयों को अधिष्ठापित कर बच्चों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा जलमणि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया जो शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान 3000 विद्यालयों में जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन हेतु ₹ 7.66 करोड़ विमुक्त किया गया। अप्रदूषित स्रोतों में उपचारात्मक संयंत्र का अधिष्ठापन नहीं करना था।

तदनुसार सरकार द्वारा जनवरी 2010 में आर्सेनिक, फलोराईड एवं लौह प्रदूषित जल के उपचार हेतु पाँच योजनाओं⁶³ की स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2011 तक ₹ 4.06 करोड़ के व्यय पर 1599 विद्यालयों (53 प्रतिशत) में लौह/फलोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ अधिष्ठापित की गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2010–11 के दौरान छ. ⁶⁴ नमूना जाँचित जिलों में कुल लक्षित 480⁶⁵ विद्यालयों में फलोराईड/लौह निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन के विरुद्ध मात्र 399 इकाइयाँ ₹ एक करोड़ के व्यय पर अधिष्ठापित की गई थी। पुनः विभाग द्वारा आर्सेनिक प्रभावित जिलों⁶⁶ में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक कार्य का प्रारंभ ही नहीं किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य एवं प्राप्ति की स्थिति तालिका सं. 5 में निम्नानुसार है :

तालिका सं. 5
जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य, उपलब्धि एवं व्यय

(₹ लाख में)

| योजना का नाम | जिला का नाम | उपचारात्मक संलग्नक इकाई का भौतिक लक्ष्य | योजना के प्रारंभ की तिथि | योजना के पूर्ण होने की तिथि | उपलब्धि | व्यय |
|---|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| लौह निष्कासन संयंत्र/फलोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयाँ या तो जलस्रोतों की पूर्व-जाँच किये बगैर लगाए गए थे या उन स्थानों में लगाए गए थे जहाँ संदूषण स्तर स्वीकार सीमा के अंदर था। | बाँका | 50 | अप्रैल 2010 | मार्च 2011 | 50 | 13.42 |
| | जमुई | 50 | | | 50 | 13.42 |
| | नवादा | 45 | | | 45 | 12.08 |
| लौह निष्कासन संलग्नक इकाई | पूर्णिया | 115 | अप्रैल 2010 | मार्च 2011 | 115 | 22.19 |
| | सहरसा | 110 | | | 71 | 19.60 |
| | सुपोल | 110 | | | 68 | 19.60 |
| | | 480 | | | 399 | 100.31 |

आगे, फलोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन के पूर्व अपरिष्कृत जल के जाँच प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जमुई एवं नवादा जिलों के 14 विद्यालयों में फलोराईड की सांद्रता सीमा के अंदर थी। इस प्रकार फलोराईड निष्कासन संलग्नक इकाइयों के अधिष्ठापन पर ₹ 5.37⁶⁷ का व्यय अलाभकारी था। लौह प्रभावित जिलों में ₹ 61.39 लाख अधिष्ठापित इकाइयों में अधिष्ठापन पूर्व व्यय किया गया था परन्तु अपरिष्कृत जल का नमूना जाँच नहीं कराया गया। इस प्रकार अधिष्ठापित इकाइयों पर कुल ₹ 66.76 लाख के व्यय की प्रभावोत्कृति सदेहास्पद थी एवं यह कार्यादेश के प्रावधान के प्रतिकूल था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा राशि विसुक्ति के बावजूद विभाग द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विलम्ब किए जाने एवं मात्र 53 प्रतिशत विद्यालय आच्छादित किए जाने के कारण इन जिलों के विद्यालयों के बच्चे सुरक्षित पेयजल से वंचित रहे।

मु.अ. (नागरिक), लो.स्वा.अ.वि. ने बहिर्गमन बैठक (नवंबर 2011) में यह कहा कि अपरिष्कृत जल का जाँच नहीं किए जाने के तथ्य की संपुष्टि के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

⁶³ फलोराईडः निष्कासन संलग्नक इकाई : 500 विद्यालय; आर्सेनिक : 500 विद्यालय (आर औ/यू बी – 100 एवं निष्कासन संलग्नक इकाई : 400) एवं लौह – 2000 विद्यालय (1000 संलग्नक इकाई एवं 1000 टेराफिल्टर)

⁶⁴ फलोराईडः बाँका, जमुई एवं नवादा, लौह : पूर्णिया, सहरसा, सुपोल

⁶⁵ फलोराईड निष्कासन संलग्नक इकाई : 145 एवं लौह निष्कासन संलग्नक इकाई : 335

⁶⁶ भागलपुर, बक्सर, खगड़िया एवं समस्तीपुर

⁶⁷ $14 \times ₹ 38349 = ₹ 536886$

2.2.9.10 जल—गुणवत्ता परियोजनाओं का असंधारण

परिचालन एवं संधारण नीति के अभाव में उपचारित जल भी प्रदूषित पाये गये।

रा.ग्रा. पेयजल कार्यक्रम मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार जलापूर्ति प्रणालियों का प्रबंधन, परिचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण एवं विकेन्द्रीकरण करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देना परिकल्पित था।

नमूना जाँचित लो.स्वा.अ. प्रमंडलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि योजना के तहत सृजित जलापूर्ति प्रणालियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किये गये थे। साथ ही भागलपुर जिले के दो उपचारात्मक योजनाओं (नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर एवं गोसाईदासपुर) की संधारण अवधि पूर्ण होने (अगस्त 2010) के बाद उपचारित जल में आर्सेनिक की मात्रा श्रीरामपुर में 100 पी.पी.बी. तथा गोसाईदासपुर में 1500 पी.पी.बी. पाई गई जो स्वीकार्य सीमा 50 पी.पी.बी. से अधिक थी। इस प्रकार अभिकरण द्वारा योजनाओं के परिचालन एवं संधारण अवधि समाप्ति के पश्चात सृजित संपत्ति का संधारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में बताया (नवम्बर 2011) कि विभाग द्वारा परिचालन एवं संधारण नीति बनायी जा रही थी।

अतः पूर्ण की गई योजनाओं के लिए परिचालन एवं संधारण नीति के अभाव में टोलों द्वारा आर्सेनिक प्रदूषित जल का खपत जारी था।

2.2.10 सहायक क्रियाकलाप

रा.ग्रा. पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (एन.आर.डी.डब्लू.क्यू.एम. एण्ड एस) कार्यक्रम के तहत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) क्रियाकलापों, मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों के क्रय हेतु शत प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी।

आई.ई.सी. क्रियाकलापों का संचालन इस प्रकार करना था जिससे कि आम लोगों को सुरक्षित पेयजल के उपयोग की जानकारी मिल सके। हाँलांकि विभाग मूलभूत क्रियाकलापों के संचालन जैसे श्रवण एवं दृश्य प्रचार तथा दीवार लेखन एवं प्रखंड मुख्यालयों पर होर्डिंग्स लगाने में असमर्थ रहा। यह भी देखा गया कि अंतरवैयक्तिक संचार (घर—घर पहुँचकर सम्पर्क करना) क्रियाकलापों पर किया गया व्यय सिर्फ चौदह प्रतिशत था।

सहायक क्रियाकलापों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकटित हुआ:

2.2.10.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलाप

आई.ई.सी. क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के बीच स्वच्छता एवं जलापूर्ति प्रणालियों का निर्माण, समुचित भंडारण का ज्ञान, सुरक्षित पेयजल का रखरखाव एवं उपयोग तथा पेयजल के प्रदूषण से बचाव के बारे में अभिरुची पैदा करना था। आई.ई.सी. रणनीति में अंतरवैयक्तिक संचार, श्रवण एवं दृश्य प्रचार, होर्डिंग्स एवं दीवार लेखन, स्लोगन, तरवीर फ्रेमिंग, समूह—मिलन, नुक़ड़ नाटक, ग्रामीणों की सहभागिता एवं प्रदर्शनियाँ सम्मिलित थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि इस घटक के तहत उपलब्ध ₹ 5.40 करोड़ (2006–11) में से विभाग द्वारा ₹ 4.31 करोड़ (80 प्रतिशत) का व्यय प्रतिवेदित

किया गया था। इसमें विभिन्न जिला जल स्वच्छता समितियों को होर्डिंग्स एवं दीवार लेखन हेतु निर्गत किये गये ₹ 1.97 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि भी शामिल थी जिसे व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। ये राशियाँ सम्बन्धित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में मार्च 2011 तक अव्यहृत पड़ी हुई थीं।

वर्ष 2006–11 के दौरान विभाग ने 10⁶⁸ प्रकार के आई.ई.सी. क्रियाकलापों को प्रारंभ किया, लेकिन किसी भी प्रकार का श्रवण एवं दृश्य प्रचार, प्रखंड मुख्यालयों में दीवार लेखन तथा होर्डिंग्स का निर्माण करने में विफल रहा। यह भी पाया गया कि अंतर-वैयक्तिक संचार (घर-घर पहुँचकर) क्रियाकलाप पर मात्र 14 प्रतिशत का व्यय किया गया था। इस प्रकार आई.ई.सी. गतिविधि दक्षता पूर्वक संचालित नहीं करने के कारण इस घटक का अधिकतम प्रत्याशित लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2011) कि समुचित उपलब्धि हेतु परिणाम आधारित आई.ई.सी. क्रियाकलापों का संचालन किया जायेगा।

2.2.10.2 मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों पर अलाभकारी व्यय

जल स्रोतों का रासायनिक जाँच नहीं संचालित किये जाने के परिणामस्वरूप बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों के क्रय पर किये गये ₹ 5.20 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

एन आर डी डब्लू क्यू एम एंड एस कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षित पेयजल की महत्ता पर जोर देते हुए ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए बी एस डब्लू एस एम ने प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया था। कुल ₹ 3.15 करोड़ की उपलब्ध राशि (2006–11) के विरुद्ध विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 42507 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य पर ₹ 3.13 करोड़ के व्यय के पश्चात केवल 32942 (77 प्रतिशत) व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। शेष राशि विभाग के पास अव्यवहृत पड़ी हुई थी (मार्च 2011)।

प्रशिक्षण माड्यूल के तहत प्रत्येक भू-जल स्रोतों का प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार (मानसून के पूर्व एवं मानसून के बाद) रासायनिक जाँच किया जाना अपेक्षित था। इस उद्देश्य हेतु ₹ 2.07 करोड़ की लागत पर क्षेत्रीय परीक्षण उपकरणों का क्रय (मार्च 2009) किया गया था।

नमूना जाँचित 10 जिलों के अभिलेखों की संविक्षा से स्पष्ट हुआ कि कुल प्राप्त 2777 क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों (एफ.टी.के.) में से ग्राम पंचायतों को 2578 उपकरणों का वितरण किया गया था (मार्च 2011)। 69 ग्राम पंचायतों द्वारा जाँच किये जाने वाले 457564 नमूनों⁶⁹ में से मात्र 6258 (एक प्रतिशत) का जाँच प्रतिवेदन ग्राम पंचायतों द्वारा समर्पित किये गये थे (परिशिष्ट 2.6)। इस प्रकार बुनियादी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय जल परीक्षण उपकरणों (एफ.टी.के.) के क्रय पर किया गया ₹ 5.20 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

⁶⁸ (i) समुदाय में सुरक्षित जल की महत्ता के बारे सामान्य जागरूकता के सृजन हेतु पाँच दिवसीय कैंप (ii) जन-अभियान, लोक संपर्क, विद्यालयों में अभियान तथा अंतर्वैयक्तिक संचार/प्रदर्शन (iii) रामरत स्रोतों का स्वच्छता सर्व (iv) छापी गयी सामग्रियाँ (v) समाचार पत्रों में विज्ञापन (vi) जिला मुख्यालयों में होर्डिंग्स (vii) प्रखंड मुख्यालयों पर होर्डिंग (viii) प्रत्येक 30 सेकंड का विडियो फिल्म (ix) दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण हेतु शुल्क (x) रेडियों के प्रादेशिक समाचारों के पहले एवं बाद में संवाद।

⁶⁹ नमूना जाँचित प्रमंडलों में भूगर्भीय स्रोतों की कुल संख्या: $228782 \times 2 = 457564$ जल नमूनों की जाँच की जानी थी।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने समापन सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2011) कि प्रोत्साहन राशि के बगैर जल की गुणवत्ता जाँच में बुनियादी कार्यकर्ताओं ने अत्यल्प रुचि दर्शायी।

2.2.10.3 जिला प्रयोगशाला द्वारा पैयजल गुणवत्ता जाँच

एन.आर.डी.डब्लू.पी. मार्गदर्शिकाओं के अनुसार सभी भू-जल स्रोतों की जाँच भौतिक एवं रासायनिक मानकों के अनुरूप प्रतिवर्ष एक बार की जानी थी। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर एक प्रयोगशाला स्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला स्तर के मात्र 38 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला थे परंतु अनुमण्डल स्तर पर एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, जबकि वर्ष 2010–11 में इन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु ₹ 4.74 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे।

लेखापरीक्षा जाँच में पुनः स्पष्ट हुआ कि विभाग द्वारा जल स्रोतों की जाँच में एन.आर.डी.डब्लू.(एफ.टी.क.) मार्गदर्शिका के प्रावधानित मानकों का पालन नहीं किया गया था। बावजूद इसके विभाग द्वारा प्रति प्रयोगशाला 100 जल नमूनों की जाँच के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था।

नमूना जाँचित जिलों में प्रमंडलीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2006–11 के दौरान निष्पादित जल नमूनों की जाँच के बौरे सारणी सं. 6 में दर्शाये गये हैं :

सारणी सं. 6

जल नमूनों की जाँच में कमी

| जिला | विभाग के अनुसार कराये जाने वाले जाँचों की संख्या | पाँच वर्षों के दौरान किये गये जाँचों की संख्या | कमी की प्रतिशतता |
|-----------|--|--|------------------|
| बक्सर | 6000 | 3290 | 45 |
| बाँका | 6000 | 0 | 100 |
| समस्तीपुर | 6000 | 2419 | 60 |
| खगड़िया | 6000 | 3270 | 45 |
| जमुई | 6000 | 2527 | 58 |
| भागलपुर | 6000 | 1642 | 73 |
| सहरसा | 6000 | 1838 | 69 |
| सुपील | 6000 | 3205 | 47 |
| पूर्णिया | 6000 | 1813 | 70 |
| नवादा | 6000 | 2441 | 59 |
| कुल | 60000 | 22445 | |

(स्रोत : लो. स्वा. अभि. विभाग एवं लो. स्वा. प्रमंडल द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर)

एन.आर.डी.डब्लू.क्यू.पी. मार्गदर्शिका के सन्दर्भित किए बिना विभाग द्वारा भू-जल स्रोतों के जाँच के लक्ष्य का निर्धारण किया गया। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह भी अप्राप्त रहा।

वर्ष 2006–11 के दौरान योजना मार्गदर्शिका को सन्दर्भित किए बिना विभाग द्वारा निर्धारित 60000 लक्षित जाँचों के विरुद्ध सिर्फ 22445 (37 प्रतिशत) जाँच ही किया जा सका। नमूना जाँचित 10 जिलों में कमी का प्रतिशतता 45 से 100 तक विस्तारित थी।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन बैठक में कहा (नवम्बर 2011) कि जल नमूनों की जाँच में कमी के कारण मानव बल तथा अंतःसंरचनात्मक सुविधा का अभाव तथा बाँका में शत–प्रतिशत कमी का कारण मई 2011 तक प्रयोगशाला का स्थापित नहीं होना था।

2.2.11 स्थापित सुविधाओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण

प्रदूषण कम करने वाली योजनाओं का आवधिक अनुश्रवण नहीं किया गया तथा त्रुटि/कमियों का भी निवारण नहीं किया गया था।

एन.आर.डी.डब्लू.पी. मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षत्रीय निरीक्षण, अनुश्रवण किया जाना आवश्यक था। जिला जल स्वच्छता समिति (डी.डब्लू.एस.सी.) द्वारा सम्बन्धित जिलों में विशेषज्ञों

के दलों का गठन करना था जिसके द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार विभिन्न प्रखंडों में योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना था। समरूपेण, राज्य जल स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) को जिला में प्रत्येक छः माह में एक बार कार्यक्रमों की समीक्षा करनी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागार किया कि नमूना जाँचित प्रमंडलों/मुख्यालयों के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला या प्रखंड स्तर पर न तो ऐसी कोई समीक्षा और न ही कोई निरीक्षण ही किया गया था। परिणामतः जल प्रदूषण को कम करने वाली योजनाओं की प्रगति का आवधिक अनुश्रवण नहीं हुआ तथा त्रुटियों/कमियों का भी निवारण नहीं किया जा सका। लो.स्वा.अ.वि. के निर्देशानुसार उपचारात्मक संयंत्र/इकाई से प्रत्येक 15 दिनों पर जल नमूना प्राप्त कर, उसकी जाँच कर लॉग बुक में जाँच परिणामों को दर्ज किये जाने को सुनिश्चित करने में कार्यपालक अभियंता विफल रहे। इस प्रकार, स्थापित सुविधाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण लगभग नगण्य था।

मुख्य अभियंता (नागरिक), लो.स्वा.अभि. विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवंबर 2011) में बताया कि मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग तथा अनुश्रवण हेतु सुधार सहायता इकाई प्रस्तावित था।

2.2.12 निष्कर्ष

विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 तक कोई वार्षिक कार्य योजनाएँ नहीं बनायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि की उपलब्धता के बावजूद भी इस अवधि के दौरान निवारात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी थी। ए.आर.डब्लू.एस.पी. मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर विभाग द्वारा निवारात्मक योजनाओं की स्थापना हेतु टोलों के चुनाव में अधिकतम प्रदूषण स्तर वाले श्रोतों का कोई सन्दर्भ नहीं लिया गया। जल गुणवत्ता समीक्षा समिति द्वारा बैठकों का संचालन नहीं किया जाना, केन्द्र एवं राज्य अभिकरणों के बीच सामंजस्य में कमी को दर्शाता था जिससे अंततः चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। उपलब्ध राशि का कम उपयोग, वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि की विसुक्ति तथा राशि को असेनिक जमा में रखने के कारण विभाग का वित्तीय प्रबंधन असंतोषप्रद था। इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा सिर्फ छः प्रतिशत आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह प्रभावित टोलों को ही आच्छादित किया जा सका। इनके तकनीकी संभाव्यता को सुनिश्चित किये बिना, सैनिटरी कूपों का निर्माण जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य का आबंटन, अपरिष्कृत जल के जाँच के बगैर आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह निवारण संलग्नक इकाइयों की स्थापना के मामले भी पाये गये। संचालन एवं अनुरक्षण नीति के अभाव में उपचारात्मक योजनाओं की स्थापना के बावजूद भी पेयजल का प्रदूषण स्तर अनुमत्य सीमाओं से अधिक था। स्थापित सुविधाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण का अभाव था। वर्ष 2006–11 के दौरान ₹ 396.51 करोड़ के व्यय के बावजूद भी विभिन्न भू-जल प्रदूषण हेतु उपचार योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षित प्रभावोत्पादकता विफल रहा।

2.2.13 अनुशंसाएँ

सरकार यह विचार कर सकती है कि:

- विभाग द्वारा वार्षिक योजना तैयार किया जाए तथा प्रदूषण स्तर की प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक योजनाओं को स्वीकृत किया जाए।
- वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली को टोलों के आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध अधिक यथार्थ बनाया जाए और उपलब्ध निधियों का कारगर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- विभाग द्वारा किसी भी उपचारात्मक योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व अपरिष्कृत जल में उपलब्ध प्रदूषण की मात्रा की जाँच पर जोर दिया जाए।
- विभागीय स्तर पर दीर्घकालीन संचालन एवं अनुरक्षण नीति का प्रतिपादन किया जाए जिससे कि लागत पर सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण हो सके एवं उनसे अपेक्षित लाभों को प्राप्त किया जा सके; और
- कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे कि कमियों को विहित कर उसका समाधान किया जा सके।